

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

प्रस्तावना

यह अध्याय 2018-19 के दौरान हरियाणा सरकार की वित्तीय स्थिति के व्यापक स्वरूप को प्रस्तुत करता है तथा पिछले पांच वर्षों की समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के मुख्य राजकोषीय पहलुओं में अवलोकित परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। सरकारी लेखाओं की संरचना एवं स्वरूप की व्याख्या **परिशिष्ट 1.2 भाग क** में की गई है तथा वित्त लेखाओं की स्थिति **परिशिष्ट 1.2 भाग ख** में दर्शाई गई है। राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई पद्धतियां **परिशिष्ट 1.3** में दी गई हैं।

1.1 राज्य का प्रोफाइल

हरियाणा 22 जिलों वाला कृषिक राज्य है जिसके 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। राज्य राष्ट्रीय राजधानी के निकट स्थित है। भौगोलिक क्षेत्र (44,212 वर्ग किलोमीटर) की दृष्टि से यह 21वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से 18वां बड़ा राज्य है (2011 की जनगणना के अनुसार)। राज्य की जनसंख्या 2001 में 2.11 करोड़ से 20.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2011 में 2.54 करोड़ हो गई। राज्य की 11.20 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी जोकि अखिल भारतीय औसत 21.90 प्रतिशत से कम है। वर्तमान मूल्यों पर 2018-19 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 7,07,126 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 2001 में 67.91 प्रतिशत थी जोकि 2011 में बढ़कर 75.60 प्रतिशत हो गई (**परिशिष्ट 1.1**)। वर्ष 2018-19 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 2,26,644¹ थी।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद, एक निश्चित समयावधि में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त सभी निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। स.रा.घ.उ. में हुई बढ़ोतरी राज्य के लोगों के जीवन स्तर में सुधार का महत्वपूर्ण सूचक है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) तथा हरियाणा के स.रा.घ.उ. की वार्षिक बढ़ोतरी में प्रवृत्तियां **तालिका 1.1** में इंगित की गई हैं:

¹ स्रोत: हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, 2018-19

तालिका 1.1: भारत के स.घ.उ. एवं राज्य के स.रा.घ.उ. की तुलनात्मक विवरणी


वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्तमान मूल्य					
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,24,67,959	1,37,71,874	1,53,62,386	1,70,95,005	1,90,10,164
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	10.99	10.46	11.55	11.28	11.20
राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	4,37,145	4,95,249	5,56,325	6,26,054	7,07,126
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर(प्रतिशतता)	9.49	13.29	12.33	12.53	12.95
पड़ोसी राज्यों की वृद्धि दर					
पंजाब	6.91	9.85	9.46	12.21	8.92
उत्तराखण्ड	8.29	9.74	10.14	14.20	10.35
स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011-12)					
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,05,27,674	1,13,69,493	1,22,98,327	1,31,78,857	1,40,77,586
स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	7.41	8.00	8.17	7.17	6.81
राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	3,70,535	4,13,175	4,50,668	4,86,239	5,26,055
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	6.63	11.51	9.07	7.89	8.19

(स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा तथा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय)

1.1.1 राजकोषीय लेन-देनों का सार

सरकार के वित्तों में निम्नलिखित शामिल हैं:

चार्ट 1.1: सरकारी लेखे की संरचना



स्रोत: बजट मैनुअल पर आधारित

राज्य सरकार के चालू वर्ष (2018-19) के दौरान राजकोषीय लेन-देनों का सार तथा पिछले वर्ष (2017-18) से तुलना तालिका 1.2 में दी गई है।

तालिका 1.2: 2018-19 में राजकोषीय लेन-देनों का सार


(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2017-18	2018-19	संवितरण	2017-18	2018-19
भाग-क: राजस्व					
राजस्व प्राप्तियां	62,694.87	65,885.12	राजस्व व्यय	73,257.36	77,155.54
कर राजस्व	41,099.38	42,581.34	सामान्य सेवाएं	26,698.68	28,168.97
कर-भिन्न राजस्व	9,112.85	7,975.64	सामाजिक सेवाएं	28,061.34	29,743.19
संघीय करों/शुल्कों का अंश	7,297.52	8,254.60	आर्थिक सेवाएं	18,106.82	19,021.58
भारत सरकार से अनुदान	5,185.12	7,073.54	सहायता अनुदान एवं अंशदान	390.52	221.80
भाग-ख: पूंजीगत तथा अन्य					
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	39.87	49.01	पूंजीगत परिव्यय	13,537.90	15,306.60
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	6,340.93	5,371.90	ऋण एवं अग्रिम संवितरण	1,394.89	755.64
लोक ऋण प्राप्तियां	21,489.76	34,264.97	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	6,338.85	17,183.87
आकस्मिक निधि	26.77	12.18	आकस्मिक निधि	26.77	12.18
लोक लेखा प्राप्तियां	33,894.25	40,785.09	लोक लेखा संवितरण	31,171.48	37,386.35
आरंभिक रोकड़ शेष	5,658.26	4,417.46	अंतिम रोकड़ शेष	4,417.46	2,985.55
कुल	1,30,144.71	1,50,785.73	कुल	1,30,144.71	1,50,785.73

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 1.5 भाग-क में चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण दिये गए हैं।

2018-19 के दौरान राज्य की समेकित निधि में निधियों की प्राप्ति एवं अनुप्रयोग का विवरण चार्ट 1.2 और चार्ट 1.3 में दिया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे

2018-19 में राज्य के वित्तों के मूल मापदंडों (चार्ट 1.2 और चार्ट 1.3) की गत वर्ष 2017-18 से तुलना नीचे दी गई है:

तालिका 1.3: मूल मापदण्ड

सकारात्मक संकेत	मापदण्ड जिन पर ध्यान की आवश्यकता है
↑ लोक ऋण के पुनर्भुगतान में 171 प्रतिशत की वृद्धि	↑ कर राजस्व में मात्र चार प्रतिशत की वृद्धि
↑ केंद्रीय करों/शुल्कों के हिस्से में 13.12 प्रतिशत की वृद्धि	↓ कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों में 12.48 प्रतिशत की कमी
↑ सहायतानुदान में 36.42 प्रतिशत की वृद्धि	↓ ऋणों और अग्रिमों की वसूली में ₹ 969.03 करोड़ (15.28 प्रतिशत) की कमी
	↓ लोक ऋण प्राप्तियों में 59.45 प्रतिशत की वृद्धि
	↓ रोकड़ शेष में ₹ 1,431.91 करोड़ (32.41 प्रतिशत) की कमी

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

हरियाणा में राजकोषीय सुधार पथ

हरियाणा में राजस्व घाटा दूर करने तथा वित्तीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखने के उद्देश्य से 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 6 जुलाई 2005 को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम लागू करके राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार एवं समेकन को प्राथमिकता दी। भारत सरकार से जरूरी दिशानिर्देश न मिलने के कारण हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में अपेक्षित संशोधन नहीं किए गए।

चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) द्वारा 2015-16 से 2019-20 की अवधि हेतु राज्य के लिए चालू कीमतों पर स.रा.घ.उ. में 15.73 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि प्रक्षेपित की गई है। मुख्य राजकोषीय घटकों के लिए चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, बजट प्रावधानों तथा मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी (म.अ.रा.नी.वि.) के लक्ष्यों का तुलनात्मक अध्ययन तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: मुख्य राजकोषीय संकेतकों में प्रक्षेपणों से भिन्नताएं (स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता)


राजकोषीय संकेतक	2018-19						
	चौ.वि.आ. द्वारा यथा निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. में किए गए प्रक्षेपण	वास्तविक	प्रक्षेपणों से वास्तविकों की भिन्नता		
					चौ.वि.आ. द्वारा यथा निर्धारित लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना/ म.अ.रा.नी. के प्रक्षेपण
राजस्व घाटा (-)/सरप्लस (+)	(+) 1.03	(-) 1.20	(-) 1.20	(-) 1.59	(-) 2.62	(-) 0.39	(-) 0.39
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-) 3.25	(-) 2.82	(-) 2.82	(-) 3.10	(+) 0.15	(-) 0.28	(-) 0.28
कुल बकाया ऋण का स.रा.घ.उ. से अनुपात	उदय सहित	20.92	23.44	23.44	26.05	(-) 5.13	(-) 2.61
	उदय को छोड़कर	--	19.66	19.66	22.38	-	(-) 2.72

- चौ.वि.आ. की अनुशंसा के अनुसार राज्य को राजस्व आधिक्य होना चाहिए और वर्ष 2018-19 के लिए राजस्व आधिक्य का अनुमान ₹ 7,253 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 1.03 प्रतिशत) रखा गया था, जिसके विरुद्ध ₹ 11,270 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 1.59 प्रतिशत) का वास्तविक राजस्व घाटा हुआ। राज्य का राजस्व घाटा, बजट तथा म.अ.रा.नी.वि. (परिशिष्ट 1.6) में किए गए प्रक्षेपण से अधिक था।
- राजकोषीय घाटा चौ.वि.आ. की सिफारिशों के भीतर था, लेकिन बजट और म.अ.रा.नी.वि. में किए गए अनुमानों से अधिक था। राज्य की बकाया देनदारियां स.रा.घ.उ. की 26.05 प्रतिशत थीं जोकि चौ.वि.आ. की सिफारिशों के साथ-साथ बजट और म.अ.रा.नी.वि. में किए गए अनुमानों से अधिक थीं।

राज्य सरकार ने चौ.वि.आ. की अनुशंसा के अनुसार हरियाणा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में आवश्यक संशोधन नहीं किए थे। राज्य, राजस्व घाटे और बकाया ऋण के संबंध में चौ.वि.आ. द्वारा अनुशंसित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा।

1.1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविक

बजट दस्तावेज किसी भी वित्तीय वर्ष के राजस्व एवं व्यय के अनुमान प्रदान करते हैं। राजस्व एवं व्यय के अनुमान जहां तक संभव हो सटीक बनाए जाने चाहिए ताकि भिन्नताओं का विश्लेषण करके उचित कारणों का पता किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानकों के लिए बजट अनुमान तथा वास्तविक राशियां चार्ट 1.4 में दी गई हैं।



- ₹ 76,933 करोड़ की लक्षित राजस्व प्राप्ति के विरुद्ध वास्तविक राजस्व प्राप्ति ₹ 65,885 करोड़ (85.64 प्रतिशत) थी।
- कर प्राप्ति के अंतर्गत ₹ 58,432 करोड़ की पूर्वानुमानित प्राप्ति के विरुद्ध केवल ₹ 50,836 करोड़ की प्राप्ति थी इसका मुख्य कारण बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर में क्रमशः ₹ 11,440 करोड़ तथा ₹ 23,760 करोड़ के अनुमान के विरुद्ध ₹ 8,998 करोड़ तथा ₹ 18,613 करोड़ की प्राप्ति थी।
- कर-भिन्न प्राप्ति ₹ 18,501 करोड़ के पूर्वानुमान के विरुद्ध केवल ₹ 15,049 करोड़ (81.34 प्रतिशत) थी। मुख्यतः शहरी विकास (₹ 1,684 करोड़), शिक्षा (₹ 901 करोड़) तथा सड़क परिवहन (₹ 803 करोड़) में अनुमान से कम प्राप्ति हुई।

- सामाजिक सेवाओं में ₹ 4,433 करोड़, आर्थिक सेवाओं में ₹ 1,895 करोड़, सामान्य सेवाओं में ₹ 1,620 करोड़ तथा सहायतानुदान में ₹ 84 करोड़ के कम राजस्व व्यय के कारण बजट प्रावधानों की तुलना में वास्तविक राजस्व व्यय ₹ 8,032 करोड़ कम था।
- वर्ष के दौरान, राज्य ने सामाजिक सेवाओं (₹ 1,065 करोड़), सामान्य सेवाओं (₹ 119 करोड़) तथा ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण (₹ 1,011 करोड़) में कम व्यय के कारण ₹ 17,546 करोड़ के बजट अनुमान के विरुद्ध ₹ 16,062 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया। तथापि, आर्थिक सेवाओं में पूंजीगत व्यय, बजट प्रावधानों से ₹ 711 करोड़ अधिक था।
- वास्तविक राजस्व, वित्तीय तथा प्राथमिक घाटे बजट अनुमानों से अधिक थे।

राजस्व घाटा स.रा.घ.उ का 1.59 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा स.रा.घ.उ. का 3.10 प्रतिशत था जोकि वार्षिक बजट के साथ-साथ म.अ.रा.नी.वि. के अनुमानों क्रमशः 1.20 प्रतिशत तथा 2.82 प्रतिशत से अधिक था। राज्य, चौ.वि.आ. द्वारा अनुशंसित राजस्व आधिक्य के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका।

1.1.4 उत्प्लावकता अनुपात

उत्प्लावकता अनुपात राजकोषीय मद की, आधार मद में दिए गए मद के सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता/लचीलेपन की मात्रा को इंगित करता है। स.रा.घ.उ. की तुलना में राजस्व प्राप्तियों, राज्य की स्व कर प्राप्तियों, कुल व्यय और राजकोषीय देयताओं का उत्प्लावकता अनुपात **तालिका 1.5** में दिया गया है।

तालिका 1.5: स.रा.घ.उ. की तुलना में प्राप्तियों, व्यय और राजकोषीय देयताओं का उत्प्लावकता अनुपात

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	4,37,145	4,95,249	5,56,325	6,26,054	7,07,126
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.49	13.29	12.33	12.53	12.95
राजस्व प्राप्तियां					
वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	40,799	47,557	5,2497	62,695	65,885
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.33	16.56	10.39	19.43	5.09
स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों की उत्प्लावकता	0.77	1.25	0.84	1.55	0.39
राज्य का स्व कर राजस्व					
वर्ष के दौरान स्व कर राजस्व (₹ करोड़ में)	27,635	30,929	34,026	41,099	42,581
स्व कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	8.09	11.92	10.01	20.79	3.61
स.रा.घ.उ. के साथ स्व कर राजस्व की उत्प्लावकता	0.85	0.90	0.81	1.66	0.28
कुल व्यय					
वर्ष के दौरान कुल व्यय (₹ करोड़ में)	53,677	79,394	79,781	88,190	93,218
कुल व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.19	47.91	0.49	10.54	5.70
स.रा.घ.उ. के साथ कुल व्यय की उत्प्लावकता	1.60	3.60	0.04	0.84	0.44
राजकोषीय देयताएं					
वर्ष की समाप्ति पर राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़ में)	88,446	1,20,718	1,46,371	1,64,076	1,84,216
राजकोषीय देयताओं की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.97	36.49	21.25	12.10	12.27
स.रा.घ.उ. के साथ राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता	1.68	2.75	1.72	0.97	0.95


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


यह देखा जा सकता है कि स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों और स्व कर राजस्व की उत्पलावकता 2018-19 के दौरान कम थी। यह इंगित करता है कि 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर से कम थी। स्व कर राजस्व की वृद्धि दर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर से बहुत कम थी। राजकोषीय देयताओं की वृद्धि दर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर के लगभग समान थी।

1.2 वित्त लेखे 2018-19 के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व तथा पूंजीगत, प्राप्तियों के दो प्रवाह हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों को संघटित करते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायतानुदान शामिल रहते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार एवं वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से ऋण) तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम के साथ-साथ लोक लेखा से एकत्रित राशियां शामिल होती हैं। **तालिका 1.2** चालू वर्ष के दौरान राज्य की इसके वार्षिक वित्त लेखाओं के अनुसार प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है। जबकि **चार्ट 1.6**, 2014-19 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाता है। **चार्ट 1.5** तथा **चार्ट 1.7** चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संरचना को दर्शाता है।

चार्ट 1.5: संसाधनों के घटक तथा उप-घटक






(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

* निवल लोक लेखा प्राप्ति (₹ 3,399 करोड़) = लोक लेखा प्राप्ति (₹ 40,785 करोड़) में से लोक लेखा संवितरण (₹ 37,386 करोड़) घटाने के बाद।


सरकार की कुल प्राप्ति 2014-19 के दौरान ₹ 46,565 करोड़ (74.62 प्रतिशत) बढ़ गई। इसी अवधि के दौरान राजस्व प्राप्ति ₹ 25,086 करोड़ (61.49 प्रतिशत) बढ़ गई। पूंजीगत प्राप्ति, जिनमें ऋणों एवं अग्रिमों तथा लोक ऋण की वसूली शामिल है, ₹ 20,535 करोड़ (107.23 प्रतिशत) बढ़ गई और निवल लोक लेखा प्राप्ति ₹ 944 करोड़ (38.45 प्रतिशत) बढ़ गई।



कुल प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति का अंश 2014-15 में 65.38 प्रतिशत से 2018-19 में घटकर 60.46 प्रतिशत हो गया। 2014-19 के दौरान निवल लोक लेखा प्राप्ति का अंश 3.93 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 3.12 प्रतिशत हो गया तथा लोक ऋण सहित पूंजीगत प्राप्ति का अंश 30.69 प्रतिशत से बढ़कर 36.42 प्रतिशत हो गया जो ऋणों पर अधिक निर्भरता दर्शाता है।

1.3 राजस्व प्राप्ति

2014-19 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्तियों एवं संघटकों को परिशिष्ट 1.4 में प्रस्तुत किया गया है तथा चार्ट 1.8 में भी दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान 61.49 प्रतिशत बढ़ गईं। इसी अवधि के दौरान राज्य का स्व कर राजस्व 54.08 प्रतिशत, भारत सरकार से सहायता अनुदान 41.38 प्रतिशत तथा केन्द्रीय कर अंतरण 132.67 प्रतिशत बढ़ गए। कुल राजस्व में राज्य के स्व कर राजस्व (कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व) का अंश 2014-15 में 79.04 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 76.74 प्रतिशत रह गया। भारत सरकार से सहायता अनुदान का अंश 2014-15 में 12.26 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 10.74 प्रतिशत हो गया। केन्द्रीय कर अंतरण का अंश 2014-15 से 2018-19 के दौरान 8.70 प्रतिशत से बढ़कर 12.53 प्रतिशत हो गया।

चालू वर्ष के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में केवल 5.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वह भी संघीय करों और शुल्कों के राज्यांश में ₹ 957 करोड़ (13.11 प्रतिशत) की वृद्धि और भारत सरकार द्वारा सहायतानुदान में ₹ 1,888 करोड़ (36.41 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण। राज्य का स्व राजस्व (कर एवं कर-भिन्न) केवल ₹ 345 करोड़ (0.69 प्रतिशत) बढ़ा। राज्य के कर राजस्व में ₹ 1,482 करोड़ की वृद्धि हुई परन्तु कर-भिन्न राजस्व (₹ 1,137 करोड़) में कमी के कारण यह वृद्धि कम हो गई थी। राजस्व प्राप्तियों और स्व कर राजस्व में वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियां तालिका 1.6 में दर्शाई गई हैं:

तालिका 1.6: राजस्व प्राप्तियों और स्व कर राजस्व में वार्षिक वृद्धि में प्रवृत्तियां

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	40,799	47,557	52,497	62,695	65,885
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	7.33	16.56	10.39	19.43	5.09
स्व कर राजस्व (₹ करोड़ में)	27,635	30,929	34,026	41,099	42,581
स्व कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	8.09	11.92	10.01	20.79	3.61

चालू वर्ष में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 5.09 प्रतिशत थी जो कि सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर 12.77 प्रतिशत से कम थी (परिशिष्ट 1.1)।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केंद्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्यांश वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय होता है, संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन इसके स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोतों के संदर्भ में किया जाता है।

चौ.वि.आ. तथा म.अ.रा.नी.वि. द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना में वर्ष 2018-19 के लिए राज्य की वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां **तालिका 1.7** में दी गई हैं।

तालिका 1.7: चौ.वि.आ. तथा म.अ.रा.नी.वि. द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में वास्तविक कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

	चौ.वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण	वास्तविक	पर वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता		
					चौ.वि.आ. प्रक्षेपण	बजट अनुमान	म.अ.रा.नी.वि. प्रक्षेपण
					कर राजस्व	66,779	49,132 ²
कर-भिन्न राजस्व	4,814	11,303 ³	11,303	7,976	65.68	(-) 29.43	(-) 29.43

(₹ करोड़ में)

राज्य के स्व कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण चौ.वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 36.24 प्रतिशत तथा बजट अनुमानों तथा म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 13.33 प्रतिशत कम रहा। कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां चौ.वि.आ. द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से 65.68 प्रतिशत अधिक थीं किंतु बजट अनुमानों एवं म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों से 29.43 प्रतिशत कम रही।

अतः राज्य सरकार बजट और म.अ.रा.नी.वि. में अपने अनुमानित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी।

1.3.1.1 कर राजस्व

करों एवं शुल्कों में सकल संग्रहण **तालिका 1.8** में दिए गए हैं जो 2014-19 के दौरान राज्य के स्व कर राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को भी दर्शाते हैं।

तालिका 1.8: राज्य के अपने स्रोतों के घटक

राजस्व शीर्ष	(₹ करोड़ में)				
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	18,993.25 (13)	21,060.23 (11)	23,488.41 (12)	15,608.92 (-34)	8,998.00 (-42)
जी.एस.टी.	-	-	-	10,833.43	18,612.72 (72) ⁴
राज्य उत्पाद शुल्क	3,470.45 (-6)	4,371.08 (26)	4,613.13 (6)	4,966.21 (8)	6,041.87 (22)
वाहनों पर कर	1,191.50 (9)	1,400.38 (18)	1,583.06 (13)	2,777.57 (75)	2,908.29 (5)
स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन फीस	3,108.70 (-3)	3,191.21 (3)	3,282.63 (3)	4,192.49 (28)	5,636.17 (34)
भू-राजस्व	15.28 (23)	14.97 (-2)	16.09 (7)	18.07 (12)	19.19 (6)
माल तथा यात्रियों पर कर	527.07 (6)	554.25 (5)	594.59 (7)	2,317.47 (290)	20.70 (-99)
अन्य कर ⁵	328.32 (14)	336.97 (3)	4,47.77 (33)	385.22 (-14)	344.40 (-11)
कुल	27,634.57 (8)	30,929.09 (12)	34,025.68 (10)	41,099.38 (21)	42,581.34 (4)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2014-19 के दौरान कर राजस्व में ₹ 14,946.77 करोड़ (54.09 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सभी प्रमुख करों एवं शुल्कों ने वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की। किन्तु 2017-18 की तुलना में 2018-19


² केन्द्रीय करों का राज्यांश छोड़कर।

³ सहायता अनुदान का राज्यांश छोड़कर।

⁴ वर्ष 2017-18 के लिए वस्तु एवं सेवा कर की राशि नौ माह के लिए है जबकि 2018-19 के लिए 12 माह की। इसलिए तुलना नहीं की जा सकती।

⁵ अन्य करों में, कृषि भूमि के अतिरिक्त अचल संपत्ति पर कर, विद्युत तथा कृषि आय पर कर एवं शुल्क शामिल हैं।

में कर वस्तु एवं सेवा कर में मिल जाने वाले करों जैसे कि बिक्री, व्यापार, आदि पर कर, माल तथा यात्रियों पर कर (स्थानीय क्षेत्र में आगमन पर वस्तुओं पर कर) और अन्य करों में कमी दर्ज की गई।



हरियाणा में स्व कर तथा स.घ.रा.उ. का अनुपात 2014-17 अवधि के दौरान पंजाब से कम था। परन्तु 2017-18 में हरियाणा का स्व कर तथा स.घ.रा.उ. अनुपात 6.56 प्रतिशत पर पंजाब के अनुपात 6.35 प्रतिशत से थोड़ा अधिक था और 2018-19 के दौरान यह पंजाब से थोड़ा कम था।

वस्तु एवं सेवा कर

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) अधिनियम 1 जुलाई 2017 से लागू किया। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजे) अधिनियम 2017 के अनुसार, केंद्र सरकार पांच साल की अवधि के लिए जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण राज्यों के राजस्व में हुई हानि की क्षतिपूर्ति करेगी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए मुआवजे की गणना भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के उपरांत अंतिम राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति के बाद की जाएगी। जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के राजस्व आंकड़ों को आधार माना गया था। हरियाणा के मामले में, आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ₹ 15,230.59 करोड़ था। किसी राज्य में किसी भी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व की गणना उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित विकास दर (14 प्रतिशत प्रतिवर्ष) लागू करके की जानी थी।

आधार वर्ष के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए अनुमानित राजस्व ₹ 22,564.79⁶ करोड़ बनता है। वर्ष 2018-19 के वित्त लेखे में जी.एस.टी. की प्राप्ति के आंकड़े, प्राप्ति की प्रकृति के अनुसार अर्थात् राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.), इनपुट टैक्स क्रेडिट का एस.जी.एस.टी. और आई.जी.एस.टी. (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर) में आबंटन, आई.जी.एस.टी. का विभाजन तथा आई.जी.एस.टी. से अग्रिम विभाजन के रूप में चित्रित किए गए हैं। ₹ 22,564.79 करोड़ के अनुमानित राजस्व के विरुद्ध वर्ष 2018-19 के दौरान जी.एस.टी. के अंतर्गत राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति ₹ 18,597.93 करोड़ तथा प्राप्त मुआवजा राशि

⁶ 2018-19 के लिए ₹ 15,230.59 x (1+ 14/100)³ = ₹ 22,564.79 करोड़।

₹ 2,820 करोड़ रही, जैसा कि **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है। इस प्रकार, कुल मिलाकर 31 मार्च 2019 को मुआवजे की प्राप्ति में ₹ 1,146.86 करोड़ की कमी थी।

तालिका 1.9: माह-वार प्राप्त जी.एस.टी. एवं मुआवजा प्राप्ति की स्थिति

(₹ करोड़ में)

माह	संरक्षित किया जाने वाला मासिक राजस्व	जी.एस.टी. पूर्व के करों का संग्रहण [#]	संग्रहित एस.जी.एस.टी.	आई.जी.एस.टी. का अनन्तिम विभाजन	कुल राशि	प्राप्त मुआवजा	कमी (+)/ अधिक (-)
	1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7 (1-(5+6))
अप्रैल 2018	1,880.40	(-) 13.54	1,088.81	375.42	1,450.69	0.00	429.71
मई 2018	1,880.40	2.40	966.73	312.43	1,281.56	262.00	336.84
जून 2018	1,880.40	(-) 8.00	1,061.10	309.65	1,362.75	0.00	517.65
जुलाई 2018	1,880.40	(-) 3.38	953.07	1,353.47	2,303.16	0.00	(-) 422.76
अगस्त 2018	1,880.40	16.34	1,043.37	229.16	1,288.87	0.00	591.53
सितंबर 2018	1,880.40	(-) 3.72	999.74	439.14	1,435.16	588.00	(-) 142.76
अक्टूबर 2018	1,880.40	21.16	1,035.59	282.25	1,339.00	0.00	541.40
नवंबर 2018	1,880.40	13.83	1,031.79	885.64	1,931.26	555.00	(-) 605.86
दिसंबर 2018	1,880.40	(-) 97.31	946.68	754.22	1,603.59	0.00	276.81
जनवरी 2019	1,880.40	10.12	1,015.15	397.40	1,422.67	882.00	(-) 424.27
फरवरी 2019	1,880.40	19.51	1,037.18	364.23	1,420.92	0.00	459.48
मार्च 2019	1,880.39	27.80	1,080.76	649.74	1,758.30	533.00	(-) 410.91
कुल	22,564.79	(-) 14.79	12,259.97	6,352.75	18,597.93	2,820.00	(+) 1146.86

स्रोत: प्र.म.ले. (ले. व हक.) हरियाणा तथा आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्त सूचना

इसमें वैट और केन्द्रीय बिक्री कर (रिफंड देने के बाद निवल) तथा जी.एस.टी. में सम्मिलित किये गए करों से प्राप्त राजस्व शामिल हैं, पेट्रोलियम उत्पादों और शराब पर वैट और केन्द्रीय बिक्री कर को छोड़कर।

आई.जी.एस.टी. से अग्रिम विभाजन

आई.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 17 के अंतर्गत राज्य सरकारों को आई.जी.एस.टी. का वितरण किया जाना है। राज्य कर प्रभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (भा.स.) द्वारा वर्ष 2018-19 में ₹ 2,476.10 करोड़ के अनन्तिम/अग्रिम विभाजन की मंजूरी प्रदान की गई। परंतु, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान इन अग्रिम वितरणों के विरुद्ध ₹ 133.40 करोड़ (प्रत्येक ₹ 66.70 करोड़ की दो किश्तें) की राशि को समायोजित कर दिया गया जिसके फलस्वरूप वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 2,342.70 करोड़ की निवल राशि प्राप्त हुई।

वस्तु एवं सेवा कर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

वस्तु एवं सेवा कर-संग्रह की प्रक्रिया के स्वचालित होने के कारण, यह आवश्यक है कि लेखा परीक्षा को भी नमूना जांच से बढ़ा कर सभी लेन-देनों की व्यापक जांच पर परिवर्तित किया जाये ताकि लेखाओं को प्रमाणित करने के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश को पूरा किया जा सके। इसके लिए आवश्यक डाटा उपलब्ध करवाना अभी शेष है। डाटा की अनुपलब्धता वस्तु एवं सेवा कर के लेन-देनों की व्यापक लेखापरीक्षा में रुकावट है। इसलिए, एक बार अपवाद के रूप में वर्ष 2018-19 के लेखे नमूना-लेखापरीक्षा के आधार पर प्रमाणित किए गए हैं, जैसा मैनुअल अभिलेखों के समय में किया जाता था।

कर संग्रहण की लागत

वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान प्रमुख करों के संग्रहण तथा उनके संग्रहण पर किए गए व्यय की प्रतिशतता **तालिका 1.10** में दी गई है, जो दर्शाते हैं कि राज्य में संग्रहण की लागत अखिल भारतीय औसत से कम है।


तालिका 1.10: करों के संग्रहण की लागत

शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत
		(₹ करोड़ में)			
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2016-17	23,488.41	141.80	0.60	0.69
	2017-18	15,608.92	147.94	0.95	0.69
	2018-19	8,998.00	151.08	1.68	उपलब्ध नहीं
वाहनों पर कर	2016-17	1,583.06	28.57	1.80	2.61
	2017-18	2,777.57	38.23	1.38	2.61
	2018-19	2,908.29	55.79	1.92	उपलब्ध नहीं
राज्य उत्पाद शुल्क	2016-17	4,613.13	34.63	0.75	2.01
	2017-18	4,966.21	42.33	0.85	1.83
	2018-19	6,041.87	38.08	0.63	उपलब्ध नहीं
स्टाम्प एवं पंजीकरण	2016-17	3,282.63	10.50	0.32	2.99
	2017-18	4,192.49	9.82	0.23	2.96
	2018-19	5,636.17	9.41	0.17	उपलब्ध नहीं

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

पांच वर्षों (2014-19) के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि चार्ट 1.10 तथा तालिका 1.11 में दी गई है जोकि 2014-19 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाती है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 1.11: 2014-19 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
ब्याज प्राप्तियां	933.59 (-14)	1,087.49 (16)	2,309.79 (112)	2,227.82 (-4)	1,953.84 (-12)
लाभांश तथा लाभ	5.80 (-11)	15.89 (174)	5.89 (-63)	7.53 (28)	56.60 (652)
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	3,673.73 (-5)	3,649.10 (-1)	3,880.41 (6)	6,877.50 (77)	5,965.20 (-13)
ए) बृहद् तथा मध्यम सिंचाई	129	110	113	132	164
बी) सड़क परिवहन	1,235	1,255	1,265	1,280	1,197
सी) शहरी विकास	861	422	599	2,861	2,316
डी) शिक्षा	564	637	640	674	272
ई) अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	43	272	497	713	583
कुल	4,613.12 (-7)	4,752.48 (3)	6,196.09 (30)	9,112.85 (47)	7,975.64 (-12)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2014-19 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 3,362.52 करोड़ (72.89 प्रतिशत) बढ़ गई। कर-भिन्न राजस्व (₹ 7,975.64 करोड़) 2018-19 की राजस्व प्राप्तियों का 12.11 प्रतिशत था जो कि पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1,137.21 करोड़ (12.48 प्रतिशत) घट गया था जिसके मुख्य कारण शहरी विकास विभाग (अन्य प्राप्तियां: ₹ 550 करोड़), शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा : ₹ 465 करोड़) और अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग (खनिज खनन फीस, किराया और रॉयल्टी) के अंतर्गत प्राप्ति में कमी थी।

1.3.2 भारत सरकार से सहायतानुदान

भारत सरकार से सहायतानुदानों में पिछले वर्ष से 2018-19 में ₹ 1,888.42 करोड़ की बढ़ोतरी हुई जैसा कि तालिका 1.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान

विवरण	(₹ करोड़ में)				
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
गैर-योजनागत अनुदान	1,723.20	3,744.39	3,078.49	-	-
राज्य योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	2,815.36	2,268.18	2,327.52	-	-
केंद्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	24.57	27.53	34.50	-	-
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	439.75	338.66	237.07	2,326.62	2,843.09
वित्त आयोग अनुदान	-	-	-	1,316.68	1,274.26
जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से उद्भूत राजस्व की हानि के लिए मुआवजा				1,199.00	2,820.00
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	-	-	-	342.82	136.19
कुल	5,002.88 (21)	6,378.76 (28)	5,677.58 (-11)	5,185.12 (-9)	7,073.54 (36)

(पिछले वर्ष पर प्रतिशतता वृद्धि कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

भारत सरकार से सहायतानुदान ₹ 5,185.12 करोड़ (2017-18) से बढ़कर ₹ 7,073.54 करोड़ (2018-19) प्राप्त हुआ, जिसमें जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 2,820 करोड़ का मुआवजा भी शामिल था।

1.3.3 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां

भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को काफी राशियां सीधे तौर पर हस्तांतरित कर रही है। जबकि भारत सरकार ने 2014-15 से राज्य के बजट के माध्यम से इन निधियों को जारी करने का निर्णय लिया था तथापि, 2018-19 के दौरान, राज्य की विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को सीधे तौर पर ₹ 4,226.45 करोड़ हस्तांतरित किए गए, जैसा कि तालिका 1.13 में विवरण दिया गया है।

तालिका 1.13: राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन एजेंसी	राशि
1	स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान	(i) पंजीकृत सोसायटी, (ii) सांविधिक निकाय	120.86
2	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	मनरेगा	224.72
3	राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम	राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम	20.75
4	बाजार पहुंच पहल	परिधान निर्यात संवर्धन परिषद	0.87
5	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	उपायुक्त	82.50
6	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम III	हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी	17.92
7	जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास विभाग	(i) पंजीकृत सोसायटी (ii) वैधानिक निकाय (iii) राज्य के सार्वजनिक उपक्रम (iv) सरकारी स्वायत्त निकाय (v) सरकारी संस्थान	88.86
8	धनी खान संस्थान सहित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.एस.) को सहायता	एन.आई.टी., कुरुक्षेत्र	131.86
9	बागवानी विकास मिशन	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम, हरियाणा	262.19
10	दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन से उत्पन्न योजनाएं	राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम	21.92
11	सीखो और कमाओ-कौशल विकास पहल	मास इन्फोटेक सोसायटी	8.79
12	स्वायत्त संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता	सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री राष्ट्रीय परिषद	30.00
13	खाद्य प्रसंस्करण राष्ट्रीय मिशन (सम्पदा)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम, हरियाणा	26.15
14	राष्ट्रीय उर्जा प्रशिक्षण संस्थान	राष्ट्रीय उर्जा प्रशिक्षण संस्थान	100.55
15	भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.) को सहायता	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक	25.45
16	स्वदेश दर्शन-एकीकृत विकास थीम आधारित पर्यटन सर्किट	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	101.82
17	यूरिया फ्रेट सब्सिडी के लिए भुगतान	यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1,427.70
18	आयातित फॉस्फोरस एवं पोटेशियम उर्वरकों के लिए भुगतान	मोजेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	658.11
19	नई मंजिल- एकीकृत शिक्षा एवं आजीविका पहल	मास इन्फोटेक सोसायटी	8.83
20	रोड विंग के अंतर्गत कार्य	झंडू, धतरवाल कंस्ट्रक्शन	465.69
21	प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना	महिला एवं बाल विकास विभाग	33.00
22	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड	25.05
23	कृषि विपणन	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	32.40
24	प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि विभाग, हरियाणा	188.87
25	अन्य स्कीमें	-	121.59
		कुल	4,226.45

स्रोत: वित्त लेखा - परिशिष्ट VI

भारत सरकार ने राज्य में मौजूद कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 11,639.82 करोड़ हस्तांतरित किए थे। जिसमें से, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 4,226.45 करोड़ जारी किए गए थे जो कि 2017-18 की राशि ₹ 3,226.60 करोड़ से 31 प्रतिशत अधिक थे। शेष निधियां राज्य सरकार के दायरे से बाहर केंद्रीय निकायों और अन्य संगठनों को जारी की गई थीं।

1.3.4 केंद्रीय कर अंतरण

केंद्रीय कर अंतरण 2017-18 में ₹ 7,297.52 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 8,254.60 करोड़ थे जैसा कि तालिका 1.14 में दिया गया है।

तालिका 1.14: 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान केंद्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

कर का नाम	चौ.वि.आ. की सिफारिश	2017-18 के लिए वास्तविक	2018-19 के लिए वास्तविक	भिन्नता
कारपोरेशन कर	ते.वि.आ. की	2,235.92	2,870.86	634.94
आयकर	32 प्रतिशत की	1,888.08	2,114.27	226.19
सम्पत्ति कर	तुलना में राज्यों को	-0.07	1.05	1.12
सीमा शुल्क	केंद्रीय करों की	736.90	585.17	(-) 151.73
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	विभाजन योग्य राशि	770.20	388.87	(-) 381.33
सेवाकर	का 42 प्रतिशत	825.05	75.03	(-) 750.02
उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क		-	19.21	19.21
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)		104.36	2,037.54	1,933.18
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.)		737.08	162.60	(-) 574.48
कुल		7,297.52	8,254.60	957.08

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चौ.वि.आ. ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से को 32 से 42 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। तदनुसार, केंद्रीय कर (सेवा कर को छोड़कर) की निवल आय तथा सेवा कर की निवल आय में राज्यांश क्रमशः 1.084 तथा 1.091 प्रतिशत तय किया गया था।

2018-19 के दौरान प्राप्त केंद्रीय करों का राज्यांश (₹ 8,254.60 करोड़) 2017-18 की तुलना में ₹ 957.08 करोड़ अधिक था, लेकिन यह राशि 2018-19 के बजट अनुमान (₹ 9,300 करोड़) की तुलना में ₹ 1,045.40 करोड़ कम थी।

1.3.5 सेस लगाकर सृजित निधि

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए सभी राजस्व, खजाना बिल जारी करके सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों की वसूली में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि के रूप में शामिल होंगे जिसे "राज्य की समेकित निधि" कहा जायेगा।

हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

राज्य सरकार, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर एकत्र करती है। एकत्र किए गए उपकर को निर्माण श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के लेखाओं के अनुसार 31 मार्च 2017 को बोर्ड के पास कुल उपलब्ध निधियां ₹ 2,407.16 करोड़ थीं। बोर्ड ने 2017-18 के दौरान श्रम उपकर, ब्याज, आदि के रूप में ₹ 491.92 करोड़ प्राप्त किए और वर्ष के दौरान श्रमिक कल्याण योजनाओं पर ₹ 148.31 करोड़ सहित कुल ₹ 154.74 करोड़ खर्च किए। 31 मार्च 2018 को बोर्ड के पास ₹ 2,744.34 करोड़ की निधियां थीं।

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि

राज्य सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा इसके विपणन एवं बिक्री में सुधार के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के अंतर्गत हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन

बोर्ड का गठन किया। इस अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसार, अधिसूचित बाजार क्षेत्र में खरीदे गए अथवा बेचे गए एवं प्रोसेसिंग के लिए लाए गए कृषि उत्पाद के बिक्री मूल्य पर दो प्रतिशत की दर से एड-वालोरेम आधार पर फीस (सैस) उद्गृहीत की जाती है। इस प्रकार एकत्रित राशि बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः सड़कों के विकास, डिस्पेंसरियों की स्थापना, जलापूर्ति एवं स्वच्छता प्रबंधन तथा गोदामों के निर्माण के लिए खर्च की जाती है। निधि के अंतर्गत 2011-18 के दौरान प्राप्तियां ₹ 3,766.64 करोड़ थीं तथा किया गया व्यय ₹ 3,122.68 करोड़ था।

दोनों अधिनियम संग्रहित उपकर को रखने के लिए अलग निधियां बनाने का प्रावधान करते हैं। सरकारी विभागों द्वारा संग्रहित उपकर हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड/हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड को राज्य की समेकित निधि में लिए बिना हस्तांतरित किये जाते हैं जो पंजाब खजाना नियमों के नियम 7 (1) और उसके अधीन जारी किए गए सहायक खजाना नियमों के साथ-साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के प्रावधानों के विरुद्ध है, जिसके अनुसार राज्य सरकार को प्राप्त या प्रदत्त सभी धनराशि बिना देरी के राजकोष में पूर्ण रूप से भुगतान की जाएगी और राज्य की समेकित निधि में शामिल की जाएगी।

ये निधियां राज्य की समेकित निधि से बाहर हैं और इसलिए इन निधियों में धन के संग्रह और उपयोग पर विधायिका की कोई निगरानी नहीं है। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय को बजट से हटा कर नामांकित निधियों, जो विधायिका के प्राधिकार और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के बाहर संचालित की जाती हैं, की ओर विपथित करने की प्रवृत्ति पर तेरहवें वित्त आयोग द्वारा भी चिंता व्यक्त की गई है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के मामले में अधिनियम में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान है और निधि की लेखापरीक्षा की जा रही है। परन्तु हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान नहीं है।

उपर्युक्त मामलों के अतिरिक्त, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर के सम्बन्ध में उचित लेखांकन प्रक्रिया का अभाव है। राज्य सरकार द्वारा श्रम उपकर के अंतर्गत प्राप्तियों को वर्गीकृत करने के लिए किसी विशिष्ट उप-शीर्ष का संचालन नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, ट्रेजरी के खातों से एक वर्ष विशेष में राज्य सरकार द्वारा संग्रहित श्रम उपकर की कुल राशि का पता नहीं लगाया जा सकता। हालाँकि, इस मामले को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा बार-बार उठाया गया है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह मामला राज्य के वित्त लेखाओं पर टिप्पणियों में भी उठाया गया है।

1.3.6 केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को सहायता अनुदान

वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 के लिए चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुपालन के लिए बजट प्रावधान की तुलना में निधियों का आबंटन तथा वास्तविक व्यय **तालिका 1.15** में दिया गया है।

तालिका 1.15: वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में बजट आबंटन, निधियों का आबंटन तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

स्कीम/विभाग का नाम	2017-18			2018-19		
	बजट	निधियों का आबंटन	वास्तविक व्यय	बजट	निधियों का आबंटन	वास्तविक व्यय
शहरी विकास	536.84	305.45	433.28	474.26	177.87	177.87
राष्ट्रीय आपदा में राहत- राज्य आपदा राहत कोष	254.25	254.25	254.25	320.40	320.40	320.40
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	756.98	756.98	756.98	873.86	775.99	775.99
कुल	1,548.07	1,316.68	1,444.51	1,668.52	1,274.26	1,274.26

(स्रोत: वित्त विभाग, हरियाणा से प्राप्त आंकड़े)

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान स्थानीय निकायों (ग्रामीण एवं शहरी विकास) तथा राज्य आपदा राहत कोष के लिए केवल मूल अनुदान जारी किए।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, ऋणों की प्राप्तियां (आंतरिक एवं भारत सरकार से) तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। पांच वर्षों (2014-19) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों के विवरण **तालिका 1.16** में दिए गए हैं।

तालिका 1.16: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संरचना में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पूंजीगत प्राप्तियां	19,150.31	38,356.69	29,169.02	27,870.56	39,685.88
विविध पूंजीगत प्राप्तियां सहकारी बैंकों और संस्थाओं से विनिवेश के द्वारा	18.74	29.98	26.27	39.87	49.01
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	272.82	328.28	973.23	6,340.93	5,371.90
लोक ऋण प्राप्तियां	18,858.75	37,998.43	28,169.52	21,489.76	34,264.97
बाजार ऋण	13,200.00	14,099.99	15,800.00	16,639.49	21,265.00
बॉण्ड्स	0.00	17,300.00	8,650.00	0.00	0.00
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	4,102.79	4,641.45	3,412.39	4,525.43	12,344.13
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	1,251.31	1,721.40	-	-	-
अन्य ऋण	173.89	138.36	183.87	104.35	25.98
भारत सरकार से ऋण	130.76	97.23	123.26	141.01	124.83
अर्थोपाय अग्रिम	--	--	--	79.48	505.03
लोक ऋण प्राप्तियों में बाजार ऋण की प्रतिशतता	69.99	37.11	56.09	77.43	62.06
पिछले वर्ष पर वृद्धि की दर (प्रतिशत)					
ऋण रुपी पूंजीगत प्राप्तियों की	7	101	(-) 26	(-) 24	59
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की	7	23	179	538	(-) 15
स.रा.घ.उ. की	9.49	13.29	12.33	12.53	12.95
पूंजीगत प्राप्तियों की	7	100	(-) 24	(-) 4	42

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वित्तीय संस्थाओं से उठाए गए अधिक ऋणों के कारण, लोक ऋण प्राप्तियों में बाजार ऋणों का हिस्सा 2017-18 के 77.43 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 62.06 प्रतिशत हो गया था।

ऋणों और अग्रिमों की वसूली में वर्ष 2018-19 के दौरान विद्युत संवितरण कंपनियों के ₹ 5,190 करोड़ के ऋणों का इक्विटी में रूपांतरण शामिल है। राज्य सरकार ने ₹ 25,950 करोड़ (उदय स्कीम के अंतर्गत 30 सितंबर 2015 को विद्युत संवितरण कंपनियों की कुल देयताओं का 75 प्रतिशत) के ऋणों को अधिग्रहित करने के लिए 2015-16 में ₹ 17,300 करोड़ तथा 2016-17 में ₹ 8,650 करोड़ के विद्युत बॉण्ड जारी किए थे और वित्तीय पैकेज को सहायतानुदान (₹ 7,785 करोड़), इक्विटी पूंजी (₹ 2,595 करोड़) तथा विद्युत संवितरण कंपनियों को ऋण (₹ 15,570 करोड़) के रूप में लेखाकृत किया था। ₹ 15,570 करोड़ के कुल ऋणों में से, ₹ 10,380 करोड़ (2017-18 में ₹ 5,190 करोड़ तथा 2018-19 में ₹ 5,190 करोड़) को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया है।

1.4.1 विनिवेश से आय

वर्ष 2018-19 के दौरान 13 सहकारी बैंकों तथा समितियों के पूंजीगत विनिवेश से निवल आय ₹ 49.01 करोड़ थी जो पिछले वर्ष (₹ 39.87 करोड़) से 22.92 प्रतिशत अधिक है।

1.4.2 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां

2014-19 के दौरान संवितरित एवं वसूल किए गए ऋणों और अग्रिमों का विवरण **तालिका 1.17** में दिया गया है।

तालिका 1.17: 2014-19 के दौरान संवितरित और वसूले गए ऋण

(₹ करोड़ में)

संवितरित और वसूले गए ऋण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
प्रारंभिक शेष	4,002	4,572	17,494	21,036	16,090
वर्ष के दौरान प्रदत्त राशि	843	13,250	4,515	1,395	756
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	273	328	973	6,341	5,372
अंतिम शेष	4,572	17,494	21,036	16,090	11,474
निवल जोड़	570	12,922	3,542	(-) 4,946	(-) 4,616
सहकारी शुगर मिलों को संवितरित और वसूले गए ऋण					
प्रारंभिक शेष	1,029	1,213	1,859	2,111	2,304
वर्ष के दौरान प्रदत्त राशि	190	646	252	200	344
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	6	-	-	7	-
अंतिम शेष	1,213	1,859	2,111	2,304	2,648

वर्ष के दौरान ₹ 5,371.90 करोड़ के ऋण एवं अग्रिमों की वसूली मुख्यतः विद्युत कंपनियों (₹ 5,271.09 करोड़) से की गई थी। जिसमें से ₹ 5,190 करोड़ राज्य सरकार द्वारा ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करके वसूल किए गए थे। ऋण और अग्रिमों की वास्तविक वसूली ₹ 181.90 करोड़, बकाया ऋणों का केवल एक अंश (1.13 प्रतिशत) थी।

31 मार्च 2018 को सहकारी शुगर मिलों के विरुद्ध ₹ 2,304 करोड़ के ऋण बकाया थे। राज्य सरकार ने 2018-19 के दौरान ₹ 344 करोड़ के नए ऋण वितरित किए और कोई वसूली नहीं की। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2019 को कुल ₹ 2,648 करोड़ के ऋण बकाया हो गए। सहकारी शुगर मिलों को सभी ऋण इस शर्त पर वितरित किए गए थे कि संस्वीकृति के बारह माह पश्चात् नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के साथ समान किस्तों में पांच वर्षों में ऋण का पुनर्भुगतान करना होगा तथा पूर्ववर्ती ऋणों के पुनर्भुगतान न करने पर नया ऋण वितरित नहीं किया जाएगा। तथापि, पूर्ववर्ती ऋणों की शर्तों का पालन सुनिश्चित किए बिना शुगर मिलों को ऋण संस्वीकृत/वितरित किए गए थे जैसा कि **तालिका 1.18** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.18: 2011-12 से 2018-19 के दौरान सहकारी चीनी मिलों को संवितरित और उनसे वसूले गए ऋणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक बकाया ऋण	संवितरित ऋण	वसूला गया ऋण	अंतिम बकाया ऋण
2009-10	618.40	72.50	--	690.90
2010-11	690.90	50.00	--	740.90
2011-12	740.90	88.88	--	829.78
2012-13	829.78	92.00	40.00	881.78
2013-14	881.78	150.00	2.88	1,028.90
2014-15	1,028.90	190.00	6.00	1,212.90
2015-16	1,212.90	646.00	--	1,858.90
2016-17	1,858.90	252.00	--	2,110.90
2017-18	2,110.90	200.00	7.00	2,303.90
2018-19	2,303.90	343.96	--	2,647.86
कुल		2,085.34	55.88	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1 अप्रैल 2009 को सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध ₹ 618.40 करोड़ के ऋण बकाया थे। 2009-10 से 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 2,085.34 करोड़ के ऋण वितरित किए और केवल ₹ 55.88 करोड़ की वसूली की, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2019 तक ₹ 2,647.86 करोड़ के बकाया ऋणों का संचय हुआ।

चूंकि इन ऋणों की वसूली खराब रही है, राज्य सरकार द्वारा इन ऋणों एवं अग्रिमों को अनुदान के रूप में मानने और राजस्व व्यय के रूप में बुक करने पर विचार करना चाहिए ताकि खातों का सही आकलन सुनिश्चित किया जा सके।

1.4.3 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति

2018-19 के दौरान आंतरिक ऋण प्राप्ति के रूप में ₹ 34,140.14 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी जो पिछले वर्ष (₹ 21,348.75 करोड़) से ₹ 12,791.39 करोड़ (60 प्रतिशत) अधिक थी। राज्य सरकार ने बाजार ऋणों के रूप में ₹ 21,265 करोड़ तथा वित्तीय संस्थाओं से ₹ 12,344.13 करोड़ के ऋण उठाए।

बाजार ऋणों में प्रवृत्तियों के विवरण **अनुच्छेद 1.10** में दिए गए हैं।

1.4.4 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

भारत सरकार से कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम 2017-18 के ₹ 1,941.27 करोड़ से ₹ 74.33 करोड़ घटकर 2018-19 में ₹ 1,866.94 करोड़ हो गए थे। भारत सरकार से ₹ 124.83 करोड़ के ऋण प्राप्त किए गए थे तथा वर्ष के दौरान ₹ 199.16 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था।

1.5 लोक लेखा प्राप्ति

कुछ प्राप्ति एवं संवितरण, जो समेकित निधि का अंश नहीं होते, जैसे कि लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, डिपोजिट्स, सस्पेंस, प्रेषण इत्यादि को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है तथा ये राज्य विधानसभा द्वारा वोट के अधीन नहीं है। लोकलेखा के विभिन्न खंडों के अंतर्गत प्राप्ति एवं संवितरणों की प्रवृत्तियां **तालिका 1.19** में दी गई हैं।

तालिका: 1.19: 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में प्रवृत्तियां (₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	लोक लेखा प्राप्तियां		लोक लेखा से संवितरण		संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य	
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
क) लघु बचत, भविष्य निधि आदि	3,342.50	3,512.08	2,116.18	2,344.37	1,226.32	1,167.71
ख) आरक्षित निधि	973.29	944.98	153.65	156.46	819.64	788.52
ग) डिपॉजिट	20,577.88	26,504.71	19,924.33	25,167.19	653.55	1,337.52
घ) अग्रिम	1.99	(-) 0.02	1.99	-	-	(-) 0.02
ङ) उच्च तथा विविध	900.54	912.33	852.20	978.04	48.34	(-) 65.71
च) प्रेषण	8,098.05	8,911.01	8,123.14	8,740.29	(-) 25.09	170.72
कुल	33,894.25	40,785.09	31,171.49	37,386.35	2,722.76	3,398.74

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


मुख्य रूप से लघु बचत, भविष्य निधि, आदि (₹ 1,167.71 करोड़), आरक्षित निधि (₹ 788.52 करोड़), डिपॉजिट्स (₹ 1,337.52 करोड़) तथा प्रेषण (₹ 170.72 करोड़) में वृद्धि के कारण 2018-19 में निवल लोक लेखा प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 24.83 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

संसाधनों के अनुप्रयोग का विश्लेषण, विभिन्न शीर्षों जैसे व्यय की वृद्धि एवं संरचना, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय (वेतन, ब्याज भुगतान, सब्सिडीयां, पेंशन भुगतान) तथा फ्लैगशिप स्कीमों पर व्यय के रूप में अनुवर्ती अनुच्छेदों में किया गया है।


1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

गत पांच वर्षों (2014-19) में कुल व्यय की प्रवृत्ति और संरचना नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाई गई हैं:




(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पांच वर्षों (2014-19) की अवधि में कुल व्यय में 73.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। राजस्व व्यय 2014-19 के दौरान 57.08 प्रतिशत बढ़ा जबकि उसी अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय 311.92 प्रतिशत बढ़ा जिसका मुख्य कारण वर्ष 2018-19 में विद्युत कंपनियों के ₹ 5,190 करोड़ के ऋणों एवं अग्रिमों को इक्विटी में परिवर्तित करना था।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 2014-15 में 91.51 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 82.77 प्रतिशत हो गया, जबकि कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 2014-15 में 6.92 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 16.42 प्रतिशत हो गया। ऋणों एवं अग्रिमों का अंश 2014-15 में 1.57 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 0.81 प्रतिशत हो गया।



2017-18 तथा 2018-19 के दौरान ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं का अंश 31 प्रतिशत रहा। जबकि सामाजिक सेवाओं का अंश 2016-17 से बढ़ोतरी की ओर था जो कि 2018-19 में 36 प्रतिशत रहा। आर्थिक सेवाओं का अंश जो कि 2017-18 में 33 प्रतिशत था 2018-19 में घटकर 32 प्रतिशत रह गया। पांच वर्ष की अवधि के दौरान सहायतानुदान का अंश लगभग एक प्रतिशत के स्तर पर रहा। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं का संयुक्त अंश, जो विकास व्यय का प्रतीक है, 2014-15 में 67 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 68 प्रतिशत हो गया।

1.6.2 राजस्व व्यय

तालिका 1.20 पांच वर्षों (2014-19) के राजस्व व्यय की वृद्धि प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.20: राजस्व व्यय की वृद्धि

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व व्यय	49,118	59,236	68,403	73,257	77,155
वृद्धि दर (प्रतिशत)	17	21	15	7	5
स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	11	12	12	12	11

2014-19 के दौरान राजस्व व्यय में ₹ 28,037 करोड़ (57 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। स.रा.घ.उ. से इसकी प्रतिशतता 2014-15 तथा 2018-19 में 11 प्रतिशत रही।

राजस्व व्यय वर्ष 2017-18 में ₹ 73,257 करोड़ से पांच प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में ₹ 77,155 करोड़ हो गया। सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय ₹ 1,470.29 करोड़ बढ़ गया इसका मुख्य कारण पुलिस सेवाओं (₹ 299.87 करोड़) तथा ब्याज भुगतानों (₹ 1,590.19 करोड़) पर अधिक व्यय था परन्तु पेंशन पर कम व्यय (₹ 643.31 करोड़) से कुछ समायोजन हुआ। गत वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय में ₹ 1,681.85 करोड़ की बढ़ोतरी हुई जिसका मुख्य कारण शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 888.75 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 604.08 करोड़) तथा समाज कल्याण एवं पोषण (₹ 919.75 करोड़) पर अधिक व्यय था तथा कुछ समायोजन जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास, शहरी विकास पर व्यय में कमी (₹ 965.92 करोड़) से हुआ। आर्थिक सेवाओं पर व्यय ₹ 914.76 करोड़ बढ़ गया, मुख्य कारण कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों (₹ 657.32 करोड़) तथा ग्रामीण विकास (₹ 436.76 करोड़) पर अधिक व्यय था जिसका कुछ समायोजन ऊर्जा क्षेत्र पर कम व्यय (₹ 184.10 करोड़) द्वारा हुआ।

2017-18 में ₹ 77,155 करोड़ का राजस्व व्यय म.अ.रा.नी.वि. (₹ 85,187 करोड़) में किए गए प्रक्षेपण से कम था। राज्य में राजस्व व्यय चौ.वि.आ. द्वारा प्रेषित मानक (₹ 64,340 करोड़) के भीतर नहीं रह सका, जिसके कारण राज्य राजस्व आधिक्य राज्य नहीं बन पाया।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व व्ययों में प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतनों एवं मजदूरी, पेंशनों तथा सब्सिडीयों पर व्यय शामिल हैं। 2014-19 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को तालिका 1.21 एवं चार्ट 1.14 में दर्शाया गया है।


तालिका 1.21: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरियां	14,359 (35)	15,294 (32)	17,321 (33)	18,632 (30)	22,495	19,763* (30)
ब्याज भुगतान	6,928 (17)	8,284 (17)	10,542 (20)	11,961 (19)	14,037	13,551 (21)
पेंशन	4,602 (11)	5,413 (11)	5,659 (11)	8,783 (14)	8,301	8,140 (12)
सब्सिडीज	5,693 (14)	6,899 (15)	7,654 (15)	8,446 (13)	9,811	8,549 (13)
कुल प्रतिबद्ध व्यय	31,582	35,890	41,176	47,822	54,644	50,003
राजस्व व्यय	49,118	59,236	68,403	73,257		77,155
राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय की प्रतिशतता	64	61	60	65		65
राजस्व प्राप्तियों से प्रतिबद्ध व्यय की प्रतिशतता	77	75	78	76		76

(स्रोत: वित्त लेखे तथा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से सूचना)

* ₹ 351.95 करोड़ की मजदूरियां शामिल हैं।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता इंगित करते हैं।



वेतन, ब्याज एवं पेंशन भुगतानों पर किया गया व्यय (₹ 41,102 करोड़), सरकार द्वारा म.अ.रा.नी.वि. (₹ 42,935 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹ 1,833 करोड़ (4.27 प्रतिशत) कम था तथा इन मदों पर राजस्व प्राप्तियों का 62 प्रतिशत उपभोग हुआ था।

2018-19 में राजस्व व्यय में लगभग 65 प्रतिशत भाग वेतन एवं मजदूरी, ब्याज, पेंशन तथा सब्सिडी पर प्रतिबद्ध व्यय का था जो पिछले वर्ष के समकक्ष था।

वेतन पर व्यय

2014-15 से 2018-19 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय 37.63 प्रतिशत (₹ 19,763 करोड़) बढ़ गया। 2009-10 से 2017-18 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 10.41 प्रतिशत थी, जो सामान्य श्रेणी राज्यों (11.72 प्रतिशत) से कम थी। पिछले वर्ष की तुलना में यह वृद्धि 6.07 प्रतिशत थी जो कि सामान्य श्रेणी राज्यों में 11.03 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम थी (परिशिष्ट 1.1)। वेतन पर व्यय (₹ 19,411 करोड़) म.अ.रा.नी.वि. में किए गए प्रक्षेपणों (₹ 20,597 करोड़) से कम था (परिशिष्ट 1.6)।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान पांच वर्ष (2014-19) की अवधि में 95.60 प्रतिशत (₹ 13,551 करोड़) बढ़ गया। गत वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान ₹ 1,590 करोड़ (13.29 प्रतिशत) की वृद्धि थी। राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 2014-15 में 16.98 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 20.57 प्रतिशत हो गई। 2018-19 के दौरान ब्याज भुगतान चौ.वि.आ. द्वारा किए गए निर्धारण (₹ 12,310 करोड़) से अधिक परन्तु म.अ.रा.नी.वि. के प्रक्षेपणों (₹ 14,037 करोड़) से कम था (परिशिष्ट 1.6)।

सब्सिडीज़

सब्सिडीज़ पर व्यय 2014-15 में ₹ 5,693 करोड़ से 2018-19 में ₹ 2,856 करोड़ (50.17 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 8,549 करोड़ हो गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 12.98 प्रतिशत था। ₹ 8,549 करोड़ की कुल सब्सिडीज़ में से ₹ 7,414.56 करोड़ (86.73 प्रतिशत) विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्रों के लिए थीं। विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्र को कुल सब्सिडी म.अ.रा.नी.वि. (₹ 6,478 करोड़) में प्रक्षेपण से अधिक थी (परिशिष्ट 1.6)।

सब्सिडीज़ आंशिक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं क्योंकि इनमें अप्रत्यक्ष सब्सिडीज़ शामिल नहीं होती हैं। कुछ मामलों में, राज्य सरकार ने या तो बिना ब्याज या प्रचलित ब्याज दरों से कम दर पर

ऋण वितरित किया है, अतः अप्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान की गई जैसा कि **तालिका 1.22** में वर्णित हैं।

तालिका 1.22: कुछ अप्रत्यक्ष सब्सिडीज़ के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम/सब्सिडी	बजट अनुमान	व्यय
1.	हरियाणा वेयरहाउसिंग को-ऑपरेटिव को ग्रामीण क्षेत्र में गोदामों के निर्माण के लिए ऋण	10.00	8.15
2.	राजस्व अर्जन योजनाओं के लिए ग्राम पंचायत को ब्याज मुक्त ऋण	1.80	1.48
3.	विलंबित बिक्री कर/वैट के बदले लघु उद्योगों को ब्याज मुक्त ऋण	70.00	70.00

(स्रोत: विस्तृत विनियोजन लेखे)

पेंशन

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान 76.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए पेंशन भुगतान ₹ 8,140 करोड़ तक बढ़ गया जोकि राजस्व प्राप्तियों का 12.35 प्रतिशत था। 2018-19 में पेंशन भुगतान पर व्यय चौ.वि.आ. द्वारा किए गए आकलनों (₹ 6,588 करोड़) से अधिक था परन्तु म.अ.रा.नी.वि. (₹ 8,301 करोड़) द्वारा किए गए प्रक्षेपणों से कम था (**परिशिष्ट 1.6**)। 1 जनवरी 2006 से राज्य द्वारा बढ़ती हुई पेंशन देयताओं को कम करने के लिए एक नई अंशदायी पेंशन स्कीम आरम्भ की गई थी।

नई पेंशन स्कीम

1 जनवरी 2006 को या उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी नई पेंशन योजना के दायरे में आते हैं। योजना के अनुसार कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है, राज्य सरकार द्वारा भी बराबर अंशदान दिया जाता है और पूरी राशि नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को हस्तांतरित की जाती है।

31 मार्च 2019 तक, परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (प.अं.पें.यो.) के अंतर्गत कर्मचारियों के कुल ₹ 565.88 करोड़ के अंशदान के विरुद्ध राज्य सरकार ने केवल ₹ 534.30 करोड़ का अंशदान दिया। इस प्रकार, राज्य सरकार ने अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया क्योंकि यह प.अं.पें.यो. के अंतर्गत सरकार के अपने हिस्से के रूप में ₹ 31.58 करोड़ का अंशदान करने में विफल रही। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2019 तक प.अं.पें.यो. के अंतर्गत ₹ 1,114.71 करोड़ के कुल संग्रह में से ₹ 28.56 करोड़ का शेष छोड़ते हुए राज्य सरकार ने प.अं.पें.यो. के प्रावधान के अनुसार आगे के निवेश के लिए नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) को केवल ₹ 1,086.15 करोड़ हस्तांतरित किए। इस प्रकार, एन.एस.डी.एल. को ₹ 60.14 करोड़ (₹ 31.58 करोड़ का कम अंशदान जमा ₹ 28.56 करोड़ हस्तांतरित नहीं किए गए) का कम हस्तांतरण किया गया और वर्तमान देयता भावी वर्ष/वर्षों के लिए स्थगित है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने एन.एस.डी.एल. को यह राशि हस्तांतरित न करके अपनी ब्याज देयता भी बढ़ाई है; अपने कर्मचारियों से संबंधित धन का गलत ढंग से उपयोग किया तथा प्रभावित कर्मचारियों को देय लाभों के संबंध में अनिश्चितता/भविष्य में सरकार को परिहार्य वित्तीय देयता का सृजन किया और इस प्रकार, योजना की संभावित विफलता का मार्ग प्रशस्त किया।

विकास स्कीमों/कार्यक्रम: व्यय की स्थिति

विकास स्कीमों/कार्यक्रम, राष्ट्र के समग्र विकास के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता का एक अविभाज्य एवं महत्वपूर्ण अंग हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार, राजकीय कार्यकारियों तथा विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को विकास योजनाओं के लिए 2018-19 के दौरान **तालिका 1.23** में दर्शाई गई राशियां जारी की गई थी।

तालिका 1.23: हरियाणा में कार्यान्वित विकास योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता की तुलना में व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	बजट अनुमान	व्यय	व्यय की प्रतिशतता
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वि.यो.)	666.15	446.13	66.97
2	राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.)	115.72	117.95	101.93
3	इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	200.00	51.70	25.85
4	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	295.00	172.37	58.43
5	स्वच्छ भारत	189.00	117.06	61.94
6	सर्व शिक्षा अभियान	889.65	523.67	58.86
7	मिड-डे मील	340.00	297.02	87.36
8	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	510.00	611.54	119.91
9	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	336.00	168.84	50.25
10	अमृत (AMRUT) जिसे पहले जे.एन.एन.यू.आर.एम. के नाम से जाना जाता था	700.00	310.87	44.41
11	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	4,215.34	4,296.18	101.92
12	एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	503.55	281.45	55.89
	कुल	8,960.41	7,394.78	82.53

(स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा)

विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 2018-19 के लिए ₹ 8,960.41 करोड़ के बजट अनुमानों में से राज्य ने ₹ 7,394.78 करोड़ (83 प्रतिशत) उपयोग किए। 12 विकास योजनाओं में से आठ में 70 प्रतिशत से कम बजट का उपयोग किया गया था।

1.6.4 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

तालिका 1.24: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19		
					बजट अनुमान	वास्तविक	भिन्नता की प्रतिशतता
शिक्षा संस्थाएं (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त कालेज, विश्वविद्यालय आदि)	1,809.77	1,984.67	2,130.56	2,102.96	2,980.29	2,093.14	(-) 29.77
नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	744.63	1,045.99	1,585.77	2,466.82	3,799.62	2092.31	(-) 44.93
जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थाएं	1,192.04	1,261.94	2,263.80	2,283.43	3,078.86	2547.17	(-) 17.27
विकास अभिकरण	723.72	878.09	757.94	868.04	1,633.70	865.54	(-) 47.02
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	979.70	1,010.97	1,117.68	1,101.14	1,439.54	1350.08	(-) 6.21
अन्य संस्थाएं	656.14	4,584.31	4,791.39	1,021.92	1,976.28	1129.59	(-) 42.84
कुल	6,106.00	10,765.97	12,647.14	9,844.31	14,908.29	10,077.83	(-) 32.40
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	12	18	18	13		13	

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रदान की गई सूचना)

तालिका 1.24 इंगित करती है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2014-15 में ₹ 6,106 करोड़ से बढ़ कर 2018-19 में ₹ 10,077.83 करोड़ हो गई जोकि

राजस्व व्यय का 13.06 प्रतिशत थी। जिला परिषदों एवं अन्य पंचायती राज संस्थाओं और अस्पतालों एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं को संवितरण में वृद्धि के कारण गत वर्ष की तुलना में यह ₹ 233.52 करोड़ (2.37 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई। ₹ 14,908.29 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 10,077.83 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। स्थानीय निकायों को बजट अनुमान के विरुद्ध 32.40 प्रतिशत कम वास्तविक वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मूलतः तीन पहलू सम्मिलित होते हैं जैसे कि पर्याप्त व्यय (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान) अनुकूल व्यय (प्रयोग) तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं में व्यय तथा परिणाम का आकलन)।


1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

मानव उन्नति के लिए राज्यों द्वारा मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय बढ़ाना अपेक्षित है। 2018-19 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता एवं राजकोषीय क्षमता का विश्लेषण **तालिका 1.25** तथा **चार्ट 1.15** में वर्णित किया गया है।

तालिका 1.25: 2014-15 और 2018-19 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता और राजकोषीय क्षमता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/ स.रा.घ.उ.	विकास व्यय [#] / कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र व्यय/ कुल व्यय	पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	शिक्षा/ कुल व्यय	स्वास्थ्य/ कुल व्यय
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2014-15	12.28	67.40	39.16	6.92	17.66	4.17
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2014-15	15.99	68.51	36.15	14.02	16.54	4.92
हरियाणा का औसत (अनुपात) 2018-19	13.18	68.72	35.99	16.42	14.02	4.30
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2018-19	16.05	67.04	36.59	14.28	14.99	5.07

विकास व्यय अर्थात् सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय, जिसमें विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय और संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।
स.रा.घ.उ. का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण निदेशालय, हरियाणा।



राजकोषीय प्राथमिकता:

हरियाणा में कुल व्यय का स.रा.घ.उ. से अनुपात 2014-15 में 12.28 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 13.18 प्रतिशत हो गया जो कि सामान्य श्रेणी राज्यों की औसत की तुलना में अभी भी कम था। विकास व्यय पर प्राथमिकता सामान्य श्रेणी राज्यों से अधिक थी। तथापि, 2014-15 की तुलना में 2018-19 में सामाजिक क्षेत्र व्यय से कुल व्यय का अनुपात घटा था और सामान्य श्रेणी राज्यों की औसत से कम था। 2014-15 की तुलना में 2018-19 में कुल व्यय में शिक्षा व्यय का अनुपात घट गया और यह सामान्य श्रेणी राज्यों की औसत से कम था। स्वास्थ्य व्यय भी सामान्य श्रेणी राज्यों की औसत से कम था।

विद्युत कंपनियों के ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण 2018-19 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात बढ़ा है।

1.7.2 व्यय प्रयोग की कुशलता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षों पर सार्वजनिक व्यय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, सरकार के लिए समुचित व्यय की तर्कसंगत व्यवस्था करना तथा अत्यावश्यक लोकहितार्थ कार्यों को महत्व देना आवश्यक है। पूंजीगत व्यय से कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) के अनुपात और राजस्व व्यय में सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रख-रखाव पर किए जा रहे व्यय के अनुपात से व्यय की गुणवत्ता आंकी जाती है। इन घटकों का अनुपात कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) से जितना अधिक होगा उतनी ही व्यय की गुणवत्ता अच्छी मानी जाएगी। सामाजिक-आर्थिक सेवाओं पर राजस्व, पूंजीगत तथा ऋणों एवं अग्रिमों पर व्यय को विकास व्यय माना जाता है। जबकि **तालिका 1.26**, वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में किए गए व्यय को दर्शाती है, **तालिका 1.27**, 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय में विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.26: विभिन्न क्षेत्रों में किया गया व्यय**(₹ करोड़ में)**

क्षेत्र	कुल व्यय	पूंजीगत व्यय की राशि	पूंजीगत व्यय का प्रतिशत
सामान्य सेवाएं	28,883.52	714.55	2.47
सामाजिक सेवाएं	33,547.84	3,804.65	11.34
आर्थिक सेवाएं	30,509.81*	10,787.40	35.36

(स्रोत: वित्त लेखा के आधार पर परिकलित)

* इसमें ₹ 5,190 करोड़ राशि के उदय बॉन्ड शामिल हैं जिन्हें इक्विटी में परिवर्तित किया गया है।

तालिका 1.28 में चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रख-रखाव पर किए गए राजस्व व्यय के घटकों तथा पूंजीगत व्यय के विवरण दिए गए हैं।

तालिका 1.27: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग तक)	36,180 (67)	59,652 (75)	57,258 (72)	60,499 (69)	71,718	64,058 (69)
क. विकास राजस्व व्यय	32,208 (60)	40,229 (51)	46,348 (58)	46,168 (52)	55,092	48,765 (52)
ख. विकास पूंजीगत व्यय	3,425 (6)	6,448 (8)	6,464 (8)	13,057 (15)	14,946	14,592 (16)
ग. विकास ऋण एवं अग्रिम	547 (1)	12,975 (16)	4,446 (6)	1,274 (1)	1,680	701 (1)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

(नोट: कोष्ठकों में आंकड़े कुल व्यय की प्रतिशतता सूचित करते हैं।)

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान विकास व्यय 77.05 प्रतिशत बढ़ा था। यह व्यय, जोकि कुल व्यय का 69 प्रतिशत था, 2017-18 में ₹ 60,499 करोड़ से ₹ 3,559 करोड़ (5.88 प्रतिशत) की वृद्धि के साथ 2018-19 में बढ़कर ₹ 64,058 करोड़ हो गया। विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय का अंश 76 प्रतिशत था जबकि पूंजीगत व्यय का अंश 23 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में विद्युत परियोजनाओं को कम ऋण संवितरण करने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में ऋण एवं अग्रिम ₹ 573 करोड़ घट गए। ₹ 71,718 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 64,058 करोड़ था जोकि बजट अनुमान का 89.32 प्रतिशत है।

तालिका 1.28: चयनित सामाजिक व आर्थिक सेवाओं में व्यय-प्रयोग की कुशलता

सामाजिक-आर्थिक आधारभूत संरचना	2017-18			2018-19		
	कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में अंश		कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में अंश	
		वेतन व मजदूरी	परिचालन एवं रख रखाव		वेतन व मजदूरी	परिचालन एवं रख रखाव
सामाजिक सेवाएं						
सामान्य शिक्षा	0.028	71.68	-*	0.025	72.14	-*
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.090	46.82	0.18	0.083	44.33	0.22
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	0.278	11.10	5.47	0.373	13.65	9.04
कुल सामाजिक सेवाएं	0.124	50.40	1.61	0.146	53.41	2.16
आर्थिक सेवाएं						
कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	0.331	32.00	1.18	0.349	27.08	1.07
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	0.400	4.97	10.65	0.464	35.16	10.01
विद्युत एवं ऊर्जा	0.417	0.02	-*	0.425	0.03	-*
परिवहन	0.380	45.68	3.04	0.388	47.00	3.01
कुल आर्थिक सेवाएं	0.394	15.45	1.87	0.407	18.21	1.77
कुल सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं	0.263	35.58	1.72	0.280	38.46	2.00

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

* राशि नगण्य

कुल व्यय के संदर्भ में सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का अनुपात 2017-18 में 0.124 से बढ़कर 2018-19 में 0.146 हो गया। कुल व्यय से सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों पर पूंजीगत व्यय का अनुपात 2017-18 में 0.263 से बढ़कर 2018-19 में 0.280 हो गया, जो कि मुख्यतः

जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में अधिक पूंजीगत व्यय के कारण है।

सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय का अंश 2017-18 में 50.40 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 53.41 प्रतिशत हो गया। परिचालन एवं रख-रखाव पर व्यय का अंश 2017-18 में 1.61 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 2.16 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतन एवं मजदूरी का अंश 2017-18 में 15.45 प्रतिशत से बढ़ कर 2018-19 में 18.21 प्रतिशत हो गया। परिचालन एवं रख-रखाव का अंश 2017-18 में 1.87 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 1.77 प्रतिशत हो गया। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में संयुक्त रूप से वेतन एवं मजदूरी का अंश 2017-18 में 35.58 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 38.46 प्रतिशत हो गया और परिचालन एवं रख-रखाव का अंश भी 2017-18 में 1.72 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में दो प्रतिशत हो गया।

1.8 राजकीय व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2005 लागू होने के बाद राज्य से अपना राजकोषीय घाटे(और ऋण) को न केवल निम्न स्तर पर रखने बल्कि पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं को पूरा करने की भी आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार को चाहिए कि निवेशों पर पर्याप्त आमदनी और उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय शुरू करे और उन्हें बजट पर अप्रत्यक्ष सब्सिडीज के रूप में न डाले। वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी कदम उठाने की भी आवश्यकता है। इस भाग में पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों और अन्य पूंजीगत व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किए गए हैं।

1.8.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

मार्च 2019 के अंत में ₹ 623.33 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय वाली आठ सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों ने दर्शाया कि 2018-19 के दौरान इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व (₹ 115.26 करोड़) पूंजीगत परिव्यय का 18 प्रतिशत था। कार्यचालन एवं रख-रखाव व्यय (₹ 366.99 करोड़) तथा ब्याज प्रभारों (₹ 31.17 करोड़) को वहन करने के पश्चात् ₹ 282.89 करोड़ की हानि थी।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2019 को अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित विभागवार सूचना **तालिका 1.29** में दी गई है। अपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत केवल वे परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं जिनकी पूर्ण करने की लक्षित समयावधि 31 मार्च 2019 तक समाप्त हो चुकी थी।

तालिका 1.29: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक अनुमानित लागत	परियोजनाओं की संशोधित अनुमानित लागत	(₹ करोड़ में)
				मार्च 2019 तक कुल व्यय
सिंचाई और जल संसाधन विभाग	4	31.64	-	18.17
लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग	19	269.17	-	109.13
कुल	23	300.81	-	127.30

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

दो विभागों की 23 परियोजनाओं के पूर्ण करने की लक्षित समयावधि अप्रैल 2017 और मार्च 2019 के मध्य थी, परन्तु ये परियोजनाएं मार्च 2019 तक अपूर्ण थीं परिणामस्वरूप ₹ 127.30 करोड़ के निवेश से वांछित लाभों की प्राप्ति नहीं हुई।

परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारण न केवल व्यय की गुणवत्ता प्रभावित हुई बल्कि राज्य अपेक्षित लाभ और आर्थिक विकास से भी वंचित रहा।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2019 को सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टाक कंपनियों और सहकारिताओं में ₹ 30,747.91 करोड़ निवेशित थे (तालिका 1.30)। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.104 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2014-19 के दौरान अपने उधारों पर 8.58 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा किया।

तालिका 1.30: निवेशों पर प्रतिलाभ

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वर्ष के अन्त पर संचित निवेश (₹ करोड़ में)	7,500.22	9,372.44	11,371.42	17,374.35	23,026.05	30,747.91
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	5.80	15.89	5.89	7.53	9.00	56.60
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.08	0.17	0.05	0.04	0.04	0.18
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	9.33	8.64	8.00	8.10	8.78	8.81
ब्याज दर और प्रतिलाभ के बीच अन्तर (प्रतिशत)	9.25	8.47	7.95	8.06	8.74	8.63
सरकारी उधारों पर ब्याज और निवेश पर प्रतिलाभ में अंतर (₹ करोड़ में)	693.77	793.85	904.03	1,400.37		2,653.54

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

गत पांच वर्षों में सरकार की ऋण लागत और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश पर आमदनी में ₹ 6,445.56 करोड़ का अंतर था। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए एक रणनीति बनाने की आवश्यकता है।

2014-15 से 2018-19 तक की पांच वर्षों की अवधि में सरकार के निवेशों में 309.96 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि निवेशों से प्रतिलाभ 2014-15 के ₹ 5.80 करोड़ से बढ़ कर 2018-19 में केवल ₹ 56.60 करोड़ तक पहुंचा। सरकार ने अपने उधारों पर 2014-19 के दौरान आठ से 9.33 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा किया जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों से प्रतिलाभ की प्रतिशतता 0.04 और 0.18 के बीच रही। राज्य में लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों से पेडअप शेयर पूंजी का चार प्रतिशत प्रतिलाभ प्राप्त करने की नीति है। 2018-19 में लाभ अर्जन करने वाली 13 सरकारी कंपनियों से ₹ 266.44 करोड़ का प्रतिलाभ देय था, परन्तु केवल ₹ 2.15 करोड़ का प्रतिलाभ हरियाणा राज्य भंडारण निगम से प्राप्त हुआ।

राज्य सरकार ने 2018-19 के दौरान ₹ 13,373.56 करोड़ के निवेश किए। इनमें से ₹ 13,285.25 करोड़ चार विद्युत कंपनियों की इक्विटी में निवेश किए गए थे, उसमें से

₹ 12,651.72 करोड़ का निवेश तीन घाटा उठाने वाली कंपनियों⁷ में किया गया। इन चार कंपनियों में कुल निवेश ₹ 29,286.24 करोड़ हो गया था जो कि कुल निवेश का 95 प्रतिशत था।

बारह सरकारी कंपनियां जिनमें कुल ₹ 26,071.92 करोड़ निवेशित थे, घाटे में चल रही थीं और इन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियां ₹ 30,093.48 करोड़ थीं (*परिशिष्ट 1.7*)। घाटे में चलने वाली 12 सरकारी कंपनियों में से, कुल हानियों का 98 प्रतिशत तीन⁸ विद्युत उत्पादन एवं वितरण कंपनियों (₹ 29,453.04 करोड़) में था।

राज्य सरकार ने 2018-19 के दौरान चार⁹ घाटे वाली कंपनियों में 12,653.99 करोड़ का निवेश किया। राज्य सरकार द्वारा बड़ी हानियां उठा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा करने पर विचार करना चाहिए तथा उनके पुनरुद्धार या बंद करने, जैसा भी उचित हो, के लिए रणनीतिक योजना बनानी चाहिए।

उदय के माध्यम से विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमज) का वित्तीय पुनरुत्थान

भारत सरकार द्वारा नवंबर 2015 में उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) आरंभ की गई थी। यह डिस्कॉमज को वित्तीय और परिचालन रूप से सक्षम बनाने के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज था ताकि वे सस्ती दरों पर पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति कर सकें। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्यों को डिस्कॉमज के कुल ऋण का 75 प्रतिशत अंश आहरण करना था, जो कि हरियाणा में 30 सितंबर 2015 तक ₹ 34,600 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 50 प्रतिशत ऋण और शेष 25 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2016-17 में आहरित करना सुनिश्चित किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा ₹ 25,950 करोड़ (₹ 34,600 करोड़ का 75 प्रतिशत) का ऋण आहरण किया गया। 2015-16 के दौरान ₹ 17,300 करोड़ और 2016-17 के दौरान ₹ 8,650 करोड़ का ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से ऋणदाता बैंकों को बॉण्ड जारी करके आहरित किया गया। राज्य सरकार ने वित्तीय पैकेज को सहायतानुदान (₹ 7,785 करोड़), इक्विटी पूंजी (₹ 2,595 करोड़) और डिस्कॉमज को ऋण (₹ 15,570 करोड़) के रूप में लेखाकृत किया।

वर्ष 2018-19 तक, ₹ 15,570 करोड़ के कुल ऋणों में से, राज्य सरकार ने ₹ 10,380 करोड़ (2017-18 में ₹ 5,190 करोड़ और 2018-19 में ₹ 5,190 करोड़) के ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय के साथ-साथ ऋणों और अग्रिमों की वसूली में अत्यधिक वृद्धि हुई। 2018-19 में राज्य सरकार ने उदय योजना के तहत जारी बॉण्ड्स पर ब्याज के रूप में ₹ 2,126.85 करोड़ का भुगतान किया।

1.8.4 विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के कार्य भी किए जाते हैं। प्रोफार्मा लेखों के अन्तिमकृत किए गए वर्ष तक सरकार द्वारा निवेशित राशि की

⁷ उ.ह.बि.वि.नि.लि, द.ह.बि.वि.नि.लि. तथा ह.वि.उ.नि.लि.

⁸ 2017-18 तक संचित हानियां: उ.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 15,614.12 करोड़), द.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 13,790.39 करोड़) तथा ह.वि.उ.नि.लि. (₹ 48.53 करोड़)।

⁹ हरियाणा बी.सी. एंड ई.डब्ल्यू.एस. कल्याण निगम लिमिटेड (₹ 2.27 करोड़), ह.वि.उ.नि.लि. (₹ 15.63 करोड़), उ.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 6,521.24 करोड़) और द.ह.बि.वि.नि.लि. (₹ 6,114.85 करोड़)।

विभागवार स्थिति, निवल लाभ/हानि के साथ-साथ इन उपक्रमों में निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ **परिशिष्ट 1.8** में दिए गए हैं।

सरकार द्वारा प्रोफार्मा लेखों के अन्तिमकृत किए गए वर्ष तक चार विभागीय उपक्रमों¹⁰ में ₹ 8,113.30 करोड़ की राशि निवेशित की गई थी।

दो¹¹ विभागीय उपक्रमों जिसमें राज्य सरकार की ₹ 8,094.51 करोड़ की पूंजी निवेशित थी में प्रोफार्मा लेखों के अन्तिमकृत किए गए वर्ष तक, ₹ 780.88 करोड़ की संचित हानियां थीं।

राज्य सरकार को विभागीय उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा करने पर विचार करना चाहिए तथा उनके पुनरुद्धार के लिए रणनीतिक योजना बनानी चाहिए।

1.8.5 सरकारी एवं निजी साझेदारी में निवेश

सामाजिक तथा भौतिक मूलभूत संरचना में पर्याप्त विकास करने के विचार से, जो आर्थिक उन्नति बनाए रखने के लिए आवश्यक है, राज्य सरकार ने सरकारी एवं निजी साझेदारी माध्यम को अपनाया।

14 सरकारी एवं निजी साझेदारी परियोजनाओं (**परिशिष्ट 1.9**) में से चार परियोजनाएँ पूरी हो चुकी थीं और ₹ 6,170.52 करोड़ की कुल अनुमानित लागत वाली दस परियोजनाएँ 31 मार्च 2019 को कार्यान्वयन अधीन थीं।

1.8.6 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों में निवेशों के अतिरिक्त, सरकार द्वारा अनेक संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान किये गए थे। **तालिका 1.31**, 31 मार्च 2019 को बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की स्थिति के साथ-साथ तीन वर्षों में हुई ब्याज प्राप्तियों तथा ब्याज अदायगियों की तुलना दर्शाती है।

तालिका 1.31: राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों/ब्याज प्राप्तियों/ऋण लागत की प्रमात्रा	2016-17	2017-18	2018-19	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	17,494	21,036		16,090
वर्ष के दौरान प्रदत्त राशि	4,515	1,395	1,766	756
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	973	6,341	5,360	5,372
अंतिम शेष	21,036	16,090		11,474
शेष जिसके लिए नियम व शर्तें निर्धारित हो चुकी हैं	4,667	16,090		11,474
निवल बढ़ोतरी	3,542	(-) 4,946	(-) 3,594	(-) 4,616
ब्याज प्राप्तियां	1,213	1,163	811	720
बकाया ऋणों व अग्रिमों पर प्रतिशत ब्याज प्राप्ति	6.30	6.27	5.34	5.22
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं पर प्रतिशत ब्याज भुगतान	7.20	7.29	8.72	7.35
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्ति के बीच अन्तर (प्रतिशत)	0.90	1.02	3.38	2.13

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

¹⁰ (i) खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम) : ₹ 6,908.27 करोड़, (ii) परिवहन विभाग (हरियाणा रोडवेज) : ₹ 1,186.24 करोड़, (iii) कृषि विभाग (कीटनाशियों का क्रय एवं वितरण) : ₹ 0.82 करोड़, (iv) मुद्रण एवं लेखन (राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम) : ₹ 17.97 करोड़।

¹¹ हरियाणा रोडवेज: ₹ 517.04 करोड़ तथा खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम): ₹ 263.84 करोड़।

31 मार्च 2019 को बकाया ऋण व अग्रिमों में 28.69 प्रतिशत की गिरावट हुई जिसका मुख्य कारण वर्ष के दौरान ₹ 5,190 करोड़ के विद्युत कंपनियों के ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करना था। वर्ष 2018-19 के आरंभ में सहकारी चीनी मिलों के विरुद्ध ₹ 2,303.90 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे। फिर भी, इन चीनी मिलों को ₹ 343.96 करोड़ के ऋण आबंटित किए गए। वर्ष 2018-19 के दौरान ट्रांसमिशन और वितरण सेवाओं से संबंधित विद्युत परियोजनाओं के लिए ₹ 52.84 करोड़ के नए ऋण दिए गए थे। 2015-16 और 2016-17 में उदय स्कीम के अंतर्गत जारी बांड्स के विरुद्ध वर्ष 2018-19 में ₹ 2,126.85 करोड़ का ब्याज भुगतान किया गया है।

1.8.7 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के रोकड़ शेष और उसके निवेश के तुलनात्मक आंकड़े तालिका 1.32 में दिए गए हैं।

तालिका 1.32: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

	01 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	31 मार्च 2019 को अंतिम शेष
(क) सामान्य रोकड़ शेष		
रिजर्व बैंक में जमा	(-) 490.11	(-) 795.10
ट्रांजिट लोकल में प्रेषण	0.54	0.54
कुल	(-) 489.57	(-) 794.56
रोकड़ शेष निवेश लेखे में किया गया निवेश	2,084.53	721.57
कुल (क)	1,594.96	(-) 72.99
(ख) अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़ जैसे कि लोक निर्माण विभाग अधिकारी, वन विभाग अधिकारी, जिला कलेक्टरज	2.81	3.79
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थाई अग्रिम	0.12	0.12
चिन्हित निधियों का निवेश	2,819.57	3,054.63
कुल (ख)	2,822.50	3,058.54
कुल योग (क) + (ख)	4,417.46	2,985.55

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

वर्तमान वर्ष में अंतिम रोकड़ शेष (₹ 2,985.55 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 4,417.46 करोड़) से ₹ 1,431.91 करोड़ कम हो गया था।

रोकड़ शेष में चिन्हित निधियों से निवेश की राशी ₹ 3,054.63 करोड़ भी शामिल थी। इस निवेश में सिंकिंग निधि निवेश (₹ 1,924.04 करोड़) तथा गारंटी रिडंपशन निधि निवेश (₹ 1,128.28 करोड़) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गए थे। वर्ष 2018-19 में सरकार 361 दिन न्यूनतम रोकड़ ₹ 1.14 करोड़ से अधिक रखने में सफल रही। न्यूनतम रोकड़ बनाये रखने के लिए चार दिन के लिए साधारण अर्थोपाय अग्रिम (WMA) लिया गया था। 2018-19 के दौरान सरकार को अर्थोपाय अग्रिम पर ₹ 0.29 करोड़ ब्याज का भुगतान करना पड़ा था।

वर्ष 2018-19 के प्रारम्भ में राज्य का प्रारम्भिक सामान्य रोकड़ शेष ₹ 1,594.96 करोड़ था तथा सरकार द्वारा अपनी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए बाजार से ₹ 21,265 करोड़ ऋण उठाये गए। वर्ष के अंत में अंतिम सामान्य रोकड़ शेष ₹ (-) 72.99 करोड़ था। वर्ष 2018-19 के लिए रोकड़ शेष ₹ 2,985.55 करोड़, निर्धारित आरक्षित निधियों ₹ 6,315.60 करोड़ के बराबर नहीं थी, जिसका अर्थ है कि ₹ 3,330.05 करोड़ (₹ 6,315.60 करोड़ - ₹ 2,985.55

करोड़) की आरक्षित निधि का उपयोग अभिप्रेत उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था।

1.8.8 'चैक एवं बिल' शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष

प्रमुख शीर्ष '8670' चैक एवं बिल अपूर्ण लेन-देनों, जो पूरे होने वांछित हैं को निरूपित करता है। वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेन-देन नहीं था तथा अंतिम शेष बिना किसी बदलाव के ₹ 0.05 करोड़ ही रहा।

1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियां और देयताओं की वृद्धि एवं सरंचना

विद्यमान सरकारी लेखांकन प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि एवं भवन जैसी स्थायी परिसम्पत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को सम्मिलित किया जाता है। 31 मार्च 2019 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार गत वर्ष की तदनुसूची स्थिति से तुलना सहित **परिशिष्ट 1.5 (भाग क एवं ख)** में दिया गया है। देयताओं में मुख्यतः आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा और रिजर्व फंड में प्राप्तियां शामिल हैं तथा परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।


1.9.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं को **परिशिष्ट 1.5 भाग-ख** में प्रस्तुत किया गया है। 2014-19 के दौरान राजकोषीय देयताओं की सरंचना को **तालिका 1.33** तथा **चार्ट 1.16** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.33: 2014-15 से 2018-19 तक राजकोषीय देयताओं में प्रवृत्तियां

	(₹ करोड़ में)				
राजकोषीय देयता के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आंतरिक ऋण	68,797	99,660	1,22,617	1,37,813	1,54,968
केंद्र सरकार से ऋण	2,128	2,049	1,986	1,941	1,867
लोक लेखा देयताएं	17,521	19,009	21,768	24,322	27,381
कुल	88,446	1,20,718	1,46,371	1,64,076	1,84,216
वृद्धि दर	15.97	36.49	21.25	12.10	12.27
ब्याज भुगतान	6,928	8,284	10,542	11,961	13,551
राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता	216.78	253.84	278.82	261.71	279.60
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि से उत्प्लावकता	2.18	2.20	2.05	0.62	2.41
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात	20.23	24.38	26.31	26.21	26.05

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2014-15 में ₹ 88,446 करोड़ से 108.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2018-19 में ₹ 1,84,216 करोड़ हो गई इसके मुख्य कारण आन्तरिक ऋणों (₹ 86,171 करोड़) और लोक लेखा देयताओं (₹ 9,860 करोड़) में बढ़ोतरी थी। स.रा.घ.उ. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति रही जोकि 2014-15 में 20.23 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 26.05 प्रतिशत हो गई। 2018-19 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 2.80 गुणा और राज्य के अपने संसाधनों का 3.64 गुणा थीं। वर्ष 2018-19 के दौरान राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की अदायगी ₹ 13,551 करोड़ (राजकोषीय देयताओं का 7.36 प्रतिशत) थी। यह देखना महत्वपूर्ण है कि ₹ 1,84,216 करोड़ की राजकोषीय देयताएं वर्ष 2018-19 में म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपित ₹ 1,61,014 करोड़ की सीमा से अधिक थीं।

उदय स्कीम के अंतर्गत लिए गए ऋण को शामिल करने के पश्चात राजकोषीय देयताएं तथा स.रा.घ.उ. का अनुपात 26.05 प्रतिशत, चौ.वि.आ. के 20.92 प्रतिशत के मानकीय निर्धारण से अधिक था।

1.9.3 आरक्षित निधि

विशेष प्रयोजनों के लिए नौ आरक्षित निधियां (चार ब्याज वाली और पांच गैर-ब्याज वाली) रखी गई थीं। पांच गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियों में से दो निधियां "विकास स्कीमों के लिए निधि" और "हरिजन उत्थान हेतु विलेज रिकंस्ट्रक्शन के लिए निधि" पिछले चार वर्षों से निष्क्रिय हैं।

वर्ष 2018-19 के प्रारंभ में कुल आरक्षित निधि ₹ 5,527.08 करोड़ थी। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 944.98 करोड़ की बढ़ोतरी तथा ₹ 156.46 करोड़ के वितरण के बाद अंतिम शेष ₹ 6,315.60 करोड़ का था।

1.9.3.1 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र और राज्यों को 75:25 के अनुपात में निधि में योगदान करना अपेक्षित है। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर, भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2018 से दो साल के लिए अर्थात् 2018-19 और 2019-20 के दौरान केंद्र और राज्यों के मध्य 90:10 के अनुपात में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) में अंशदान का निर्णय लिया है।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि एक प्रमुख आरक्षित निधि है जिसमें ₹ 2,155.09 करोड़ का आरंभिक शेष था। वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 320.40 करोड़ की राशि जारी की तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य के हिस्से के रूप में ₹ 35.60 करोड़ (90:10 के अनुपात में) का अंशदान करना अपेक्षित था। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 557.03 करोड़ की राशि हस्तांतरित की, जिसमें ₹ 356 करोड़ का अंशदान, विभागीय प्राधिकारियों के पास ₹ 31.43 करोड़ का अप्रदत्त शेष और अनिवेशित राशि पर ₹ 169.60 करोड़ का ब्याज शामिल था। वर्ष के दौरान ₹ 179.52 करोड़ के देय ब्याज के विरुद्ध, राज्य सरकार द्वारा अनिवेशित राशि पर ₹ 169.60 करोड़, अर्थात् ₹ 9.92 करोड़ कम, ब्याज प्रदान किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान निधि में से ₹ 96 करोड़ का व्यय किया गया तथा 2018-19 की समाप्ति पर अंतिम शेष ₹ 2,616.12 करोड़ था।

'राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि' की स्थापना और प्रशासन पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों की धारा 18 के अनुसार, राज्य कार्यकारी समिति द्वारा निवेश के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। परंतु इस तथ्य के बावजूद कि निधि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के 90:10 के अनुपात में योगदान से बनी थी, कोई निवेश नहीं किया गया, जो कि भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

1.9.3.2 खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि


इस निधि की स्थापना हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2015 को अधिसूचना द्वारा राज्य में खनन क्षेत्र का पर्यावरण अनुकूल विकास, सुरक्षा, संरक्षण, राज्य के खनन स्थलों के पुनर्वास एवं पुनरूद्धार के साथ-साथ क्षेत्र की इकोलोजी और पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के समय हित के कार्यों के लिए की गई थी। निधि को 'ब्याज रहित आरक्षित निधि' के रूप में प्रारम्भ किया गया था, जबकि इस पर छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय रहता है। अधिसूचना के अनुसार खनन स्थलों के पुनरूद्धार एवं पुनर्वास व्यय का निधि पर पहला प्रभार रहेगा।

1 अप्रैल 2018 को निधि का आरंभिक शेष ₹ 110.66 करोड़ था। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने डेड रेंट/रायल्टी/संविदा धन के रूप में ठेकेदारों से ₹ 500.60 करोड़ की राशि और कन्सेशन होल्डर्स से 'अन्य प्रभारों' के तौर पर ₹ 46.72 करोड़ की राशि प्राप्त की। राज्य सरकार को एक वित्तीय वर्ष में ठेकेदारों से प्राप्त राशि के पांच प्रतिशत के बराबर अंशदान करना होता है। अपेक्षित हस्तांतरण ₹ 71.75 करोड़, जिसमें ₹ 25.03 करोड़ (₹ 500.60 करोड़ का पाँच प्रतिशत) और ₹ 46.72 करोड़ 'अन्य प्रभार' शामिल है, के विरुद्ध राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान निधि में ₹ 56.48 करोड़ हस्तांतरित किए। इसके अतिरिक्त, ब्याज के रूप में ₹ 3.39 करोड़ जमा किए गए थे। इसके आरंभ अर्थात् जुलाई 2015 से मार्च 2019 तक खनन स्थलों के विकास बहाली और पुनर्वास के लिए निधि से कोई व्यय नहीं किया गया था। वर्ष 2018-19 के अंत में निधि में ₹ 170.52 करोड़ शेष था। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया था।

1.9.4 गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां, ऋण लेने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण वापस न करने की सूरत में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं। राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 293 की अनुपालना में राज्य की समेकित निधि की जमानत पर दी जाने वाली गारंटियों की उच्चतम सीमा के लिए कोई कानून नहीं बनाया है।


वित्त लेखाओं की विवरणी 9 के अनुसार पिछले पांच वर्षों की बकाया गारंटियों की स्थिति और बकाया गारंटियों का कुल प्राप्तियों से अनुपात **चार्ट 1.17** और **1.18** में दिया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2018-19 के दौरान सरकार द्वारा गारंटियों के विरुद्ध कोई राशि अदा नहीं की गई थी। 31 मार्च 2019 को गारंटी फीस सहित कुल ₹ 18,273 करोड़ गारंटियां बकाया थीं। ये गारंटियां, विद्युत (₹ 3,221 करोड़), सहकारी बैंकों और समितियों (₹ 634 करोड़) तथा निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कंपनियों (₹ 14,418 करोड़) से संबंधित थीं।

वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर बकाया गारंटियां राज्य की कुल प्राप्तियों का 26 प्रतिशत थीं जोकि अन्य राज्यों जैसे कि उत्तराखंड (1.6 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (छ: प्रतिशत) से काफी अधिक थीं। लेखापरीक्षा का मत है कि राज्य द्वारा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम की अनुपालना में उच्चतम सीमा तय करनी चाहिए।



1.10 ऋण प्रबंधन

गत पांच वर्ष की समयावधि में राज्य सरकार के आंतरिक ऋण की स्थिति का विश्लेषण **तालिका 1.34** प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.34: राज्य सरकार की आंतरिक ऋण स्थिति



(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	ऋण प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	गत वर्ष पर वृद्धि की प्रतिशतता	आन्तरिक ऋणों पर ब्याज का भुगतान
2014-15	58,143.15	18,727.99	8,073.67	68,797.47	10,654.32	18.32	5,887.22
2015-16	68,797.47	37,901.20	7,038.54	99,660.13	30,862.66	44.86	6,465.94
2016-17	99,660.13	28,046.26	5,089.52	1,22,616.87	22,956.74	23.04	9,139.51
2017-18	1,22,616.87	21,348.75	6,153.25	1,37,812.37	15,195.50	12.39	10,577.71
2018-19	1,37,812.37	34,140.14 ¹²	16,984.71 ¹³	1,54,967.80	17,155.43	12.45	11,987.56

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

(प्राप्तियों और भुगतानों में सम्बन्धित वर्षों के आन्तरिक ऋण + अर्थापय अग्रिम शामिल हैं।)

राज्य सरकार के आंतरिक ऋणों में एक बड़ा भाग बाजार ऋणों का है, जिसमें ब्याज दर 7.80 से 9.89 प्रतिशत के बीच है। 2018-19 में राज्य सरकार ने ₹ 21,265 करोड़ के नए बाजार ऋण लिए (₹ 33,635 करोड़ की कुल आंतरिक ऋण प्राप्तियों में से)। आंतरिक ऋणों के कुल ₹ 16,480 करोड़ पुनर्भुगतान में से ₹ 3,295 करोड़ का पुनर्भुगतान बाजार ऋणों का था। 31 मार्च 2019 को ₹ 1,54,968 करोड़ के कुल बकाया आंतरिक ऋणों में से ₹ 1,14,990 करोड़ के बाजार ऋण थे। वर्ष के दौरान बाजार ऋण की निवल वृद्धि 18.52 प्रतिशत (₹ 17,970 करोड़) थी।



स्रोत: राज्य वित्त लेखे

राज्य सरकार के आंतरिक ऋण 2014-15 में ₹ 58,143 करोड़ से ₹ 96,825 करोड़ (167 प्रतिशत) की बढ़ोतरी के साथ 2018-19 में बढ़कर ₹ 1,54,968 करोड़ हो गए। 2018-19 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 11,988 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था।

ऋण पोषण क्षमता

सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं और भविष्य में अपने ऋण दायित्व को पूरा

¹² आन्तरिक ऋण ₹ 33,635.11 करोड़ + अर्थापय अग्रिम ₹ 505.03 करोड़

¹³ आन्तरिक ऋण ₹ 16,479.68 करोड़ + अर्थापय अग्रिम ₹ 505.03 करोड़

करने के लिए राज्य की क्षमता का आकलन करते हैं। यह खंड बकाया ऋणों की वृद्धि दर; ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्ति का अनुपात; ऋण पुनर्भुगतान तथा ऋण प्राप्ति; राज्य के लिए निवल ऋण की उपलब्धता की गणना से सरकार की ऋण पोषण क्षमता का आकलन करता है। तालिका 1.35 में 2014-15 से पांच वर्ष की अवधि के लिए इन सूचकों के आधार पर राज्य की ऋण पोषण क्षमता का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 1.35: ऋण पोषण क्षमता

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरीकरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बकाया लोक ऋण	70,925.30	1,01,709.05	1,24,602.73	1,39,753.64	1,56,834.74
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर	17.63	43.40	22.51	12.16	12.22
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	4,37,145	4,95,249	5,56,325	6,26,054	7,07,126
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	9.49	13.29	12.33	12.53	12.95
स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में ऋण	16.22	20.54	22.40	22.32	22.18
बकाया ऋण पर औसत ब्याज दर (प्रदत्त ब्याज/लोक ऋण का आ.शं.+लोक ऋण का अं.शं./2)	9.14	7.61	8.17	8.08	8.16
राजस्व प्राप्ति से ब्याज की प्रतिशतता	14.70	13.81	17.61	17.04	18.37
ऋण प्राप्ति से ऋण भुगतान की प्रतिशतता	43.62	18.99	18.73	29.50	50.15
राज्य के पास उपलब्ध निवल ऋण #	4,633	24,217	13,647	4,469	4,981
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल ऋण	24.57	63.73	48.45	20.80	14.54

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

लोक ऋण प्राप्तियों से लोक ऋण पुनर्भुगतान एवं लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के बाद बची राशि राज्य के पास उपलब्ध निवल ऋण है।

2014-19 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के लोक ऋण 121.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2014-15 में ₹ 70,925 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 1,56,835 करोड़ हो गए। 2014-15 से 2018-19 की अवधि पर वार्षिक वृद्धि दर 12.16 प्रतिशत तथा 43.40 प्रतिशत के मध्य रही। लोक ऋण में गत वर्ष की 12.16 प्रतिशत बढ़ोतरी की तुलना में 2018-19 में 12.22 प्रतिशत वृद्धि हुई।

ऋण पोषण क्षमता का विश्लेषण ई.डी. डोमर (डोमर, 1944) के एक अध्ययन के आधार पर किया गया। डोमर मॉडल के अनुसार लोक ऋणग्रस्तता में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार है कि सरकारी ऋणों पर ब्याज दरें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लोक ऋण की प्रवृत्तियाँ ब्याज दर, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर और प्राथमिक बजट बकाये के आधार पर निम्नानुसार हैं:

जी - आर (जी - वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर; आर-वास्तविक ब्याज दर)	एस< शून्य (प्राथमिक घाटा)	एस> शून्य (प्राथमिक आधिक्य)
जी - आर > शून्य (मजबूत आर्थिक विकास)	स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में लोक ऋण शून्य से ऊपर एक स्तर पर स्थिर हो जायेगा।	स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में लोक ऋण शून्य से नीचे एक स्तर पर स्थिर हो जायेगा।
जी - आर < शून्य (धीमी आर्थिक विकास)	स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में लोक ऋण स्थिर हुए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ता रहेगा।	अनिर्धारित स्थिति।

विश्लेषण को हरियाणा में लागू करने पर परिणाम नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए हैं:

वर्ष	वास्तविक वृद्धि दर (जी)	वास्तविक ब्याज दर (आर)	जी-आर	प्राथमिक घाटा/आधिक्य (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियां
2014-15	6.63	3.66	2.97	-5,658	जी-आर> शून्य तथा एस< शून्य : लोक ऋण शून्य से ऊपर एक स्तर पर स्थिर हो जायेगा।
2015-16	11.51	2.11	9.40	-23,195	
2016-17	9.07	5.13	3.94	-15,743	
2017-18	7.89	4.99	2.90	-7,153	
2018-19	8.19	3.52	4.67	-8,361	
वास्तविक वृद्धि दर की गणना वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से की गई है।					
वास्तविक ब्याज दर मुद्रास्फीति के समायोजन करने के पश्चात् अंकित ब्याज दर है।					

इसके अतिरिक्त, 2018-19 में ऋण का अनुपात स.रा.घ.उ. से 26.05 प्रतिशत और राजकोषीय घाटे का स.रा.घ.उ. से अनुपात 3.10 प्रतिशत रहा। जबकि चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) द्वारा ऋण की सीमा स.रा.घ.उ. का 20.92 प्रतिशत और राजकोषीय घाटे की सीमा 3.25 प्रतिशत निर्धारित की गई थी। राज्य का पूंजीगत व्यय 2014-19 के दौरान 7 से 16 प्रतिशत के मध्य रहा।

पांच वर्षों (2014-15 से 2018-19) में से प्रत्येक वर्ष में राज्य में प्राथमिक घाटा था और इस अवधि के दौरान डोमर गैप (जी-आर) सकारात्मक रहा है। इसलिए, डोमर मॉडल के अनुसार, लोक ऋण शून्य से अधिक एक स्तर पर स्थिर हो जायेगा। फिर भी, अन्य कारक जैसे लोक लेखा देयताएं और वर्तमान कोरोना वायरस संकट जैसी अप्रत्याशित घटना तथा स.रा.घ.उ. पर इसके प्रभाव और/या राज्य के ऋण पोषण क्षमता/स्थिरता का आकलन करने में राजस्व के किसी भी अन्य अनपेक्षित नुकसान का भी आकलन करना होगा। चूंकि इन्हें अनुमानित या निर्धारित नहीं किया जा सकता है, अतः इन्हें विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है।

2014-19 की अवधि के दौरान उधार ली गई राशियों का पूर्ववर्ती उधारों के पुनर्भुगतान, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के लिए उपयोग का विवरण **तालिका 1.36** में दिया गया है।

तालिका 1.36: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधार	पूर्ववर्ती उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (प्रतिशतता)	निवल पूंजीगत व्यय * # (प्रतिशतता)	संवितरित निवल ऋण एवं अग्रिम (प्रतिशतता)	राजस्व व्यय का अंश जो ऋण से वहन किया गया (प्रतिशतता)
2014-15	18,858.75	8,227.41 (44)	3,696.79 (20)	570.05 (3)	6,364.50 (33)
2015-16	37,998.43	7,214.68 (19)	6,878.35 (18)	12,922.01 (34)	10,983.39 (29)
2016-17	28,169.52	5,275.84 (19)	6,836.83 (24)	3,541.68 (13)	12,515.17 (44)
2017-18	21,489.76	6,338.85 (29)	8,308.03 (39)	243.96 (1)	6,598.92 (31)
2018-19	34,264.97	17,183.87 (50)	10,067.59 (30)	573.74 (1)	6,439.77 (19)
कुल	140,781.43	44,240.65 (31)	35,787.59 (25)	17,581.44 (13)	42,901.75 (31)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)


कोष्ठक में ऋण की राशि से प्रतिशतता इंगित की गई है।

* निवल पूंजीगत व्यय = कुल पूंजीगत व्यय - विविध पूंजीगत प्राप्तियां

निवल पूंजीगत व्यय में इक्विटी में बदले गए ₹ 5,190 करोड़ के ऋण शामिल नहीं हैं।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अतः राजस्व व्यय लिए भी सरकार उधार पर निर्भर रही। 2018-19 के दौरान, ₹ 6,440 करोड़ का राजस्व व्यय उधार ली गई निधियों से पूरा किया गया था, जो उधार ली गई धनराशि का 19 प्रतिशत है।



2014-19 की अवधि के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति को **चार्ट 1.22** में दर्शाया गया है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

लोक ऋण का स.रा.घ.उ. से अनुपात 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में अधिक से अधिक होता गया और 2017-19 के बीच इसमें कुछ गिरावट दर्ज की गई जैसा कि **चार्ट 1.23** में दर्शाया गया है।


राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान 2014-15 में 14.70 प्रतिशत था जोकि 2018-19 में बढ़कर 18.37 प्रतिशत (**चार्ट 1.24**) हो गया। यह दर्शाता है कि लोक ऋण पर ब्याज भुगतान की बढ़ती से विकास के लिए निधियों की उपलब्धता कम हो रही थी।



ऋण पुनर्भुगतान अनुसूची

ऋण परिपक्वता प्रोफाइल सरकार की ऋण पुनर्भुगतान या ऋण सर्विसिंग की प्रतिबद्धता का विवरण प्रदान करता है।


चार्ट 1.25: ऋण परिपक्वता प्रोफाइल



स्रोत: वित्त लेखे

मार्च 2019 तक कुल बकाया ऋण ₹ 1,56,950.31¹⁴ करोड़ था। 31 मार्च 2019 को लोक ऋण की बकाया राशियों का परिपक्वता प्रोफाइल यह दर्शाता है कि कुल बकाया ऋण का 62 प्रतिशत (₹ 97,549 करोड़) सात साल तक की अवधि में परिपक्व होने वाला है और बाकी ₹ 59,401 करोड़ (38 प्रतिशत) सातवें वर्ष के बाद की अवधि में परिपक्व होगा जैसा कि चार्ट 1.25 में दर्शाया गया है।

ब्याज सहित बाजार ऋणों एवं उदय बांड्स की पुनर्भुगतान अनुसूची चार्ट 1.26 में दी गई है।



टिप्पणी: बकाया बाजार ऋण एवं उदय बांड्स के लिए परिपक्वता प्रोफाइल 31 मार्च 2019 तक बकाया राशियों के आधार पर बनाई गई है और ब्याज की गणना ऋण पूर्ण होने वाले वित्तीय वर्ष तक की गई है।

राज्य को बाजार ऋणों एवं उदय बांड्स के लिए अगले तीन वित्तीय वर्षों में अर्थात् 2021-22 तक ₹ 18,267 करोड़ मूलधन का पुनर्भुगतान और ₹ 37,504 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना होगा। इसके बाद अगले दो वर्षों, 2023-24 तक, ₹ 31,656 करोड़ का मूलधन और ₹ 17,460 करोड़ का ब्याज देय होगा। अर्थात् अगले पाँच वर्षों, 2023-24 तक, ऋण पुनर्भुगतान और ब्याज के रूप में लगभग ₹ 20,997 करोड़ का वार्षिक भुगतान करना होगा।

¹⁴ मैच्योरिटी प्रोफाइल और ऋण शेषों में ₹ 115.57 करोड़ का अंतर है जो मिलान के अधीन था।

2024-25 से 2028-29 की अवधि में, ₹ 77,775 करोड़ के ऋण और ₹ 18,643 करोड़ के ब्याज देय होंगे। इस प्रकार राज्य को 2024-25 से 2028-29 की अवधि के दौरान लगभग ₹ 19,283 करोड़ का प्रतिवर्ष पुनर्भुगतान करना होगा।

पिछले पांच वर्षों में राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय क्रमशः 12.30 प्रतिशत और 11.42 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़े हैं। इस विकास दर को लागू करते हुए, और यह मानते हुए कि राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय इसी दर से बढ़ते रहेंगे, राज्य का राजस्व घाटा 2023-24 में बढ़कर ₹ 14,814 करोड़ और वर्ष 2028-29 तक ₹ 17,331 करोड़ हो जाएगा।


अतः राज्य को बाजार ऋणों एवं उदय बांड्स के ऋण दायित्वों के निर्वहन के लिए तथा बढ़े हुए संसाधन अंतर को भरने के लिए और अधिक ऋण लेने पड़ेंगे।


1.11 राजकोषीय असंतुलन

विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान सरकार के वित्तों में समग्र राजकोषीय असंतुलनों की गणना तीन मूल राजकोषीय मानक अर्थात् राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटों द्वारा की जाती है। यह खंड, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इन घाटों की प्रवृत्ति, स्वरूप, मात्रा और इन घाटों के वित्त पोषण की पद्धति को तथा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम/नियमों के अंतर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तर को प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियां

चार्ट 1.27 तथा चार्ट 1.28 द्वारा 2014-19 की अवधि में विभिन्न घाटों में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत किया गया है।





(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- राजस्व घाटा**, जो राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य इंगित करता है, रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2005 के अनुसार 2011-12 तक शून्य करना था और 2014-15 तक शून्य पर स्थिर रखना था। 2017-18 के दौरान ₹ 10,562 करोड़ का राजस्व घाटा था जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर ₹ 11,270 करोड़ हो गया। ₹ 11,270 करोड़ का राजस्व घाटा ₹ 8,254 करोड़ के बजट प्रक्षेपणों से अधिक था और राजस्व प्राप्तियों का 17 प्रतिशत था।

₹ 11,270 करोड़ का राजस्व घाटा दर्शाता है कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं और उधार ली गई धनराशि का उपयोग पूंजीगत सृजन की बजाय मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था।
- राजकोषीय घाटा**, जो 2017-18 में ₹ 19,114 करोड़ था, 2018-19 के दौरान बढ़कर ₹ 21,912 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा म.अ.वि.नी.वि. में नियत किए गए स.रा.घ.उ. के 2.82 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक 3.10 प्रतिशत था (*परिशिष्ट 1.6*)।
- प्राथमिक घाटा**, जो 2014-15 में 5,658 करोड़ था, 2015-16 में ₹ 23,195 करोड़ तक बढ़ गया और 2016-17 में घटकर ₹ 15,743 करोड़ हो गया (उदय स्कीम के अंतर्गत विद्युत ऋण आहरित करने के लिए 2015-16 में ₹ 17,300 करोड़ के बांड और 2016-17 में ₹ 8,650 करोड़ के बांड जारी करने का प्रभाव)। प्राथमिक घाटा 2017-18 के दौरान घटकर ₹ 7,153 करोड़ हो गया था परन्तु 2018-19 में बढ़कर ₹ 8,361 करोड़ हो गया। प्राथमिक घाटे का अर्थ है कि राज्य को अपने ऋणों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए भी ऋण लेने की आवश्यकता है।
- प्राथमिक राजस्व शेष** राज्य की राजस्व प्राप्तियों और ब्याज रहित राजस्व व्यय के अंतर को दर्शाता है। यह आकलन करता है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियां किस हद तक ब्याज का भुगतान करने में सक्षम थीं। 2018-19 में, राज्य में ₹ 2,281 करोड़ का प्राथमिक राजस्व शेष दर्ज किया गया।

राजस्व और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राजस्व और राजकोषीय घाटों को क्रमशः ₹ 207.91 करोड़ और ₹ 3,537.96 करोड़ कम दिखाया गया था। इसका कारण नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत कम योगदान करना, खदान एवं खनिज विकास, पुनरुद्धार एवं पुनर्वास निधि के अन्तर्गत कम योगदान/ ब्याज का कम समायोजन, गारंटी फीस को लोक लेखा में हस्तांतरित न करना, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का अन्तर्गत शेषों पर कम ब्याज का समायोजन करना और निर्धारित निधियों को व्यय के लिए उपयोग करना है, जैसा कि **तालिका 1.37** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.37: प्रभावी राजस्व और राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व घाटा पर प्रभाव (अवकथित)	राजकोषीय घाटा पर प्रभाव (अवकथित)	बिना प्रभाव के अनुपात (प्रतिशत में)		प्रभाव के बाद अनुपात (प्रतिशत में)	
			आर.डी./ स.रा.घ.उ.	एफ.डी./ स.रा.घ.उ.	आर.डी./ स.रा.घ.उ.	एफ.डी./ स.रा.घ.उ.
नई पेंशन स्कीम में कम योगदान	31.58	31.58				
खदान एवं खनिज विकास, पुनरुद्धार एवं पुनर्वास निधि में कम योगदान	15.27	15.27				
खदान एवं खनिज विकास, पुनरुद्धार एवं पुनर्वास निधि में शेष राशि पर ब्याज का कम समायोजन	3.25	3.25				
गारंटी फीस को लोक लेखा में हस्तांतरित न करना	147.89	147.89	1.59	3.10	1.62	3.60
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में शेष राशि पर ब्याज का कम समायोजन	9.92	9.92				
निर्धारित निधियों का व्यय के लिए उपयोग	0	3,330.05				
कुल	207.91	3,537.96				

स्रोत: वित्त लेखे

उपर्युक्त कारणों से राज्य सरकार का राजस्व और राजकोषीय घाटा प्रभावित हुआ। राजकोषीय घाटा 0.03 प्रतिशत प्वाइंट तथा राजकोषीय घाटा 0.50 प्रतिशत प्वाइंट कम दर्शाया गया है।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में संघटनीय बदलाव आया है जैसा कि **तालिका 1.38** में दर्शाया गया है। 2018-19 के दौरान राजकोषीय घाटे को पोषित करने वाले घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण **तालिका 1.39** में दिए गए हैं।

तालिका 1.38: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजकोषीय घाटे के घटक	(-) 12,586	(-) 31,479	(-) 26,285	(-) 19,114	(-) 21,912
1 राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 8,319	(-) 11,679	(-) 15,906	(-) 10,562	(-) 11,270
2 निवल पूंजीगत व्यय	(-) 3,697	(-) 6,878	(-) 6,837	(-) 13,498	(-) 15,258
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 570	(-) 12,922	(-) 3,542	4,946	4,616
राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति					
1 बाजार ऋण	12,372.99	13,168.29	15,358.98	15,839.49	17,970.00
2 भारत सरकार से ऋण	(-) 22.98	(-) 78.91	(-) 63.06	(-) 44.59	(-) 74.33
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	707.45	1,012.11	(-) 947.05	(-) 954.14	(-) 980.58
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(-) 2,426.12	16,682.26	8,544.81	310.15	165.99
5 लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,041.05	1,048.64	1,114.88	1,226.32	1,167.71
6 आरक्षित निधि	38.97	70.72	1,646.31	673.72	553.47
7 जमा एवं अग्रिम	471.42	369.27	(-) 2.12	653.55	1,337.50
8 उचंत एवं विविध	1,145.54	(-) 1,583.19	1,734.84	518.78	1,296.28
9 प्रेषण	(-) 13.89	(-) 19.15	57.66	(-) 25.09	170.72
10 समग्र आधिक्य (-) घाटा (+)	13,314.43	30,670.04	27,445.25	18,198.19	21,606.76
11 रोकड़ शेष में अधिक (-) कमी (+)*	(-) 728.38	(+) 809.47	(-) 1,160.13	916.30	304.99
12 सकल राजकोषीय घाटा	12,586.05	31,479.51	26,285.12	19,114.49	21,911.75

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

* 8999-रोकड़ शेष (रिजर्व बैंक के पास जमा एवं कोषालय में प्रेषण)

तालिका 1.39: वित्तीय घाटे को पोषित करने वाले घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1 बाजार ऋण	21,265.00	3,295.00	17,970.00
2 भारत सरकार से ऋण	124.83	199.16	-74.33
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	980.58	-980.58
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	12,370.10	12,204.11	165.99
5 लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	3,512.08	2,344.37	1,167.71
6 जमा और अग्रिम	26,504.69	25,167.19	1,337.50
7 रिजर्व निधियां	944.98	391.51	553.47
8 उचंत एवं विविध	80,205.71	78,909.43	1,296.28
9 प्रेषण	8,911.01	8,740.29	170.72
10 समग्र आधिक्य (-) घाटा (+)	1,53,838.40	1,32,231.64	21,606.76
11 रोकड़ शेष में वृद्धि (-) कमी (+)	Cr.489.57	Cr.794.56	304.99
12 कुल राजकोषीय घाटा	1,53,348.83	1,31,437.08	21,911.75

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे)

2018-19 में राजकोषीय घाटा मुख्यतः बाजार ऋण (82 प्रतिशत), राज्य भविष्य निधि (पांच प्रतिशत) और बाकि अन्य स्रोतों से पोषित किया गया।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे में प्राथमिक राजस्व घाटे एवं पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) की राशि द्वारा राज्य के वित्तीय घाटे की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। प्राथमिक घाटे के विभाजन (तालिका 1.40) से यह पता चलता है कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि का घाटे में कितना योगदान, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए वांछनीय है।

तालिका 1.40: प्राथमिक घाटा/आधिक्य-घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्ति	राजस्व प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6	7= (4+5+6)	8=(3-4)	9=(2-7)
2014-15	41,091	40,799	42,190	3,716 (7.95)	843	46,749	(-) 1,391	(-) 5,658
2015-16	47,915	47,557	50,952	6,908 (9.71)	13,250	71,110	(-) 3,395	(-) 23,195
2016-17	53,496	52,497	57,861	6,863 (9.91)	4,515	69,239	(-) 5,364	(-) 15,743
2017-18	69,076	62,695	61,296	13,538 (17.76)	1,395	76,229	1,399	(-) 7,153
2018-19	71,306	65,885	63,604	15,307 (19.21)	756	79,667	2,281	(-) 8,361

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

(नोट: कोष्ठक में आंकड़े प्राथमिक व्यय से पूंजीगत व्यय का प्रतिशत इंगित करते हैं)

- राज्य की राजस्व प्राप्ति 2014-15 से 2018-19 के बीच 61.49 प्रतिशत बढ़ गई। 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्ति, प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी।
- प्राथमिक राजस्व घाटा 2014-15 में ₹ 1,391 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 5,364 करोड़ हो गया था और 2017-18 एवं 2018-19 में राजस्व अधिशेष में परिवर्तित हो गया। 2018-19 में प्राथमिक राजस्व अधिशेष ₹ 2,281 करोड़ था।
- प्राथमिक घाटा जो 2014-15 में ₹ 5,658 करोड़ था, बढ़कर 2015-16 में ₹ 23,195 करोड़ हो गया और उसके बाद घटकर ₹ 2017-18 में 7,153 करोड़ हो गया। हालांकि, चालू वर्ष के दौरान प्राथमिक घाटा 2017-18 में ₹ 7,153 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 8,361 करोड़ हो गया।

तालिका 1.41: राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)	(-) 8,319 (66)	(-) 11,679 (37)	(-) 15,906 (61)	(-) 10,562 (55)	(-) 11,270 (51)
निवल पूंजीगत व्यय	(-) 3,697 (29)	(-) 6,878 (22)	(-) 6,837 (26)	(-) 13,498 (71)	(-) 15,258 (70)
निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 570 (5)	(-) 12,922 (41)	(-) 3,542 (13)	(+) 4,946	(+) 4,616
राजकोषीय घाटा	(-) 12,586	(-) 31,479	(-) 26,285	(-) 19,114	(-) 21,912

कोष्ठकों में आंकड़े राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता इंगित करते हैं

राजकोषीय घाटा 2017-18 में ₹ 19,114 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 21,912 करोड़ हो गया। 2018-19 में राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का योगदान 51 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटे में निवल पूंजीगत व्यय तथा निवल ऋण एवं अग्रिम का संयुक्त योगदान 49 प्रतिशत

था। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का उच्च अनुपात इंगित करता है कि राजस्व व्यय का एक बड़ा भाग उधार ली गई धनराशी से वहन किया जा रहा है।

चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा स.रा.घ.उ. का 3.10 प्रतिशत था।

1.12 निष्कर्ष

राज्य में राजस्व घाटे का प्रगामी उन्मूलन करके विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए रा.उ.ब.प्र. अधिनियम, 2005 पारित किया गया था। रा.उ.ब.प्र. हालांकि, अधिनियम का संशोधन, चोदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर नहीं किया गया है। राज्य राजस्व घाटे वाला राज्य बना हुआ है। 2016-17 में राजस्व प्राप्तियों के 30 प्रतिशत की तुलना में राजस्व घाटा 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 17 प्रतिशत था।

राज्य का प्राथमिक घाटा 2017-18 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1.14 प्रतिशत से बढ़कर चालू वर्ष में 1.18 प्रतिशत हो गया था।

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत एकत्रित ₹ 3,766.64 करोड़ की प्राप्तियां 2011-18 के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की गई थीं। इसी प्रकार सरकारी विभागों द्वारा निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत उपकर संग्रहित करके भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को राज्य की समेकित निधि में लिए बिना हस्तांतरित किया जा रहा है। 31 मार्च 2018 को बोर्ड के पास ₹ 2,744.34 करोड़ की निधियां थीं।

वर्ष के दौरान कुल व्यय का 83 प्रतिशत राजस्व व्यय था। 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय का 65 प्रतिशत चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, पेंशन देयताओं, ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर किया गया। इसके अतिरिक्त, कुल सब्सिडी (₹ 8,549 करोड़) का 87 प्रतिशत (₹ 7,415 करोड़) केवल ऊर्जा क्षेत्र के लिए दिया गया।

2018-19 के दौरान ₹ 15,307 करोड़ (कुल व्यय का 16.42 प्रतिशत) के पूंजीगत व्यय में उदय स्कीम के अंतर्गत प्रदत्त विद्युत क्षेत्र के ₹ 5,190 करोड़ राशि के ऋण भी शामिल थे जो कि इक्विटी में परिवर्तित कर दिए गए थे। 2017-18 तक तीन विद्युत कंपनियों की संचित हानियां ₹ 29,453 करोड़ थीं।

राजस्व घाटा 2017-18 में ₹ 10,562 से बढ़कर 2018-19 में ₹ 11,270 करोड़ हो गया था। अन्य राजकोषीय मानक अर्थात् राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे जो कि 2017-18 में क्रमशः ₹ 19,114 करोड़ और ₹ 7,153 करोड़ थे, 2018-19 में बढ़कर क्रमशः ₹ 21,912 करोड़ (15 प्रतिशत) और ₹ 8,361 करोड़ (17 प्रतिशत) हो गए।

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 31 मार्च 2019 को ₹ 1,84,216 करोड़ थीं। राजकोषीय देयताएं 31 मार्च 2018 को स.रा.घ.उ. का 26.20 प्रतिशत की तुलना में स.रा.घ.उ. का 26.05 प्रतिशत थीं। राजकोषीय देयताएं 31 मार्च 2018 को राजस्व प्राप्तियों के 2.62 गुणा की तुलना में 31 मार्च 2019 को 2.80 गुणा थीं।

2018-19 की समाप्ति पर ₹ 2,985.55 करोड़ का रोकड़ शेष ₹ 6,315.60 करोड़ की निर्धारित आरक्षित निधि से कम था जो इंगित करता है कि ₹ 3,330.05 करोड़ की आरक्षित निधियां अभिप्रेत उद्देश्यों से अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग की गईं।

राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 2,787 करोड़ की निधियों का निवेश नहीं किया गया था। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर निधि में 31 मार्च 2018 को ₹ 2,744 करोड़ अप्रयुक्त पड़े थे।

सरकार के आंतरिक ऋण 2017-18 में ₹ 1,37,812 करोड़ से बढ़कर 2018-19 के दौरान ₹ 1,54,968 करोड़ (12.45 प्रतिशत) हो गए। 2018-19 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 11,988 करोड़ ब्याज का भुगतान किया गया था। 2018-19 के दौरान संसाधनों एवं व्यय का अंतर ऋणात्मक रहा तथा प्राथमिक व्यय का कुछ भाग ऋणों द्वारा वहन किया गया था।